सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2017-2018

बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2017-18

बौद्धिक
सम्पदा **भारत**

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	03
अध्याय I	बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति - एक झलक	06
अध्याय II	जन सेवा प्रदान - दक्षता और पारदर्शिता	12
अध्याय III	पेटेंट	24
अध्याय IV	डिजाइन	49
अध्याय V	व्यापार चिह्न	63
अध्याय VI	भौगोलिक उपदर्शन	75
अध्याय VII	कॉपीराइट	82
अध्याय VIII	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन	86
अध्याय IX	पेटेंट सहयोग संधि	89
अध्याय X	चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली	95
अध्याय XI	राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) एवं पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)	98
अध्याय XII	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	110
अध्याय XIII	(बौद्धिक सम्पदा अधिकार) आईपीआर मे प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि-क्रियाकलाप	120
अध्याय XIV	मानव संसाधन	127

प्राक्कथन

रोज़मर्रा के जीवन मे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट, भौगोलिक उपदर्शन, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जैसी अमूर्त संपत्ति के अतिव्यापी महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार(आईपीआर) का ढांचा निरंतर विकासशील व गतिशील होता है। वैश्वीकरण की तेज गति ने आईपी संपत्तियों को सफल व्यवसाय की नींव के रूप में स्थापित किया है और इसे बड़े, लघु अथवा स्टार्ट-अप अस्तित्वों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण और संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने और देश में बौद्धिक संपदा प्रशासन को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मई 2016 मे लागू हुई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, देश में स्थिर बौद्धिक सम्पदा शासन को बढ़ावा देने तथा देश के औद्योगिक व आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। कार्यालय राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी सुसंगत व आवश्यक कदम उठा रहा है जिसमे बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन व प्रशासन को सुदृढ़ करना व सभी हितधारकों का पहुंच में आसानी सुनिश्चित करना शामिल है। यह कुशल आईपी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा और देश में औद्योगिक विकास की गति का निर्माण करेगा।

पिछले वर्षों के दौरान की गई विभिन्न पहलों को कायम रखते हुए, वर्ष के दौरान कार्यालय ने मानव संसाधन बढ़ाने, दक्षता बढ़ाने, एकरूपता और बौद्धिक सम्पदा आवेदनों पर कार्यवाही में निरंतरता, संतुलित और पारदर्शी आईपीआर ढांचा प्रदान करने, आईपी से संबंधित सूचनाओं के प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा देश मे बौद्धिक सम्पदा मे जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

16 मई 2016, से लागू किए गए संशोधित पेटेंट नियमों के प्रावधानों ने काफी हद तक पेटेंट प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है, जिसमें, परस्पर, पेटेंट आवेदनों के निपटान के लिए समयबद्धियां व्यवस्थित करना, पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, पेटेंट आवेदनों का त्वरित परीक्षण, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, आवेदन का आहरण, शुल्क की वापसी तथा सुनवाई के स्थगन को प्रतिबंधित करना शामिल है।

इसी प्रकार, व्यापार चिह्न नियम में 6 मार्च, 2017 से प्रभावी हुए संशोधनों ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है व अनावश्यक प्रावधान हटाए हैं व फॉर्म की संख्या 74 से घटाकर 8 कर दी है ताकि व्यापार चिह्न के पंजीकरण को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके। नए नियम के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यापार चिह्न आवेदनों हेतु एक आवेदन पत्र, स्टार्टअप, व्यक्तियों व लघु उद्यमों के लिए शुल्क मे रियायत, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, ई-संचार व संपूर्ण व्यापार चिह्न अभियोजन प्रक्रिया का त्वरित संसाधन का प्रावधान किया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान बौद्धिक सम्पदा प्रशासन में सुधार के साथ-साथ पेटेंट व व्यापार चिह्न नियमों में संशोधन, डिजिटल सुधार और आईपी प्रक्रियाओं के पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन हुआ है, लंबितता मे कमी व उच्च दर से आवेदनों का निपटान हुआ है।

वर्ष के दौरान, कार्यालय ने प्रदर्शन, आईपी सेवाओं के प्रदान व आईटी-सक्षम कार्यप्रणाली के संदर्भ में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

दाखिल पेटेंट आवेदनों मे 5.3% की वृद्धि हुई है जबकि 2016-17 के 29.2% की तुलना मे घरेलू फाइलिंग मे 32.5% की वृद्धि हुई है। परीक्षित पेटेंट आवेदनों की संख्या मे दोगुनी से अधिक (गत वर्ष से 108.2% की वृद्धि) वृद्धि हुई है। पेटेंट अनुदान मे 32.5% व आवेदनों के निपटान मे 57.6% की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण मे लंबितता 1 माह से कम रही है। परीक्षण में प्रक्रियात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप शुरुआती चरण में व्यापार चिह्न आवेदनों (10% से कम से बढ़ कर 46% तक) की स्वीकृति में वृद्धि हुई। व्यापार चिह्न के पंजीकरण मे गत वर्ष से 20.3% की वृद्धि हुई है तथा कुल निपटान मे गत वर्ष से 91.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान, ऑनलाइन फाइलिंग मे पेटेंट मे 90% तथा व्यापार चिह्न मे 86% की वृद्धि हुई है।

डिजाइन मे, नए आवेदनों के परीक्षण मे लंबितता एक माह के आसपास रही। 2016-17 की तुलना मे, दाखिल आवेदनों मे 15.9% की वृद्धि हुई है जबकि पंजीकृत डिजाइन मे 21.1% की वृद्धि हुई है।

पंजीकरण की प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण और पुनर्रचना के कारण वर्ष के दौरान कॉपीराइट के प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान कॉपीराइट आवेदनों को दाखिल करने मे 7.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान परीक्षण की लंबितता 1 माह से कम हो गई है (मार्च 2017 से पूर्व यह 13 माह थी)। कॉपीराइट पंजीकरण मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसमे 456% की वृद्धि हुई है जबकि आवेदनों के कुल निपटान मे 631% की वृद्धि हुई है। पारदर्शिता और हितधारकों की

भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदनों, निपटान व लंबितता को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

कार्यालय हितधारकों की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु प्रयासरत रहा है। विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों (आईपीओ स्थानों) पर नियमित हितधारकों की बैठकों का आयोजन किया गया ताकि प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त हो सके और उनका तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा, कार्यालय के कामकाज से संबंधित मुद्दों के संबंध में राय/सुझाव/शिकायतें दर्ज करने के लिए हितधारकों को सक्षम बनाने के लिए आईपीओ वेबसाइट में एक अलग गेटवे के रूप में तंत्र की स्थापना की गई है। तथा, आईपीओ हेल्प-डेस्क हितधारकों की ई-फाइलिंग मे कठिनाइयों का समाधान करता रहा है।

कार्यालय के कार्य और सेवा प्रदान में सुधार लाने और लोक शिकायतों को अधिक तेज़ी से और प्रभावी ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से, हितधारकों को परीक्षण रिपोर्ट व उनके द्वारा किए जाने वाले समयबद्ध कार्यों के बारे में एसएमएस अलर्ट सेवा प्रारम्भ की गई है। कार्यालय ने पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गयी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) की सूची का आवधिक प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया है तथा आवेदक के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियंत्रक के साथ सुनवाई की सुविधा शुरू कर दी है। कार्यालय ने हितधारकों को बौद्धिक सम्पदा-सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल एप सेवा प्रारम्भ की है।

वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में दिया गया है। अद्यतन बौद्धिक सम्पदा विधान, विभिन्न समारोहों के मुख्यांश व अन्य उपयोगी सूचना हमारी शासकीय वेबसाइट (http://www.ipindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिहन पारदर्शी तरीके से बौद्धिक सम्पदा सेवाओं का समय पर प्रदान सुनिश्चित करने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, श्रमशक्ति को मजबूत करने और डिजिटल वातावरण बनाने के द्वारा उचित अवधि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को संरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। बेहतर कामकाज और सेवा प्रदान तथा जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए और कदमों को लागू किया जाएगा।

(ओम प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से.)
महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिहन

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति -एक झलक

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने मे, सामान्यतः, विगत वर्षों के दौरान उतरोत्तर विकास देखा गया है। पिछले वर्ष (3,50,467) की तुलना मे दाखिल कुल आवेदन इस वर्ष (3,55,922) भी लगभग बराबर रहे हैं। 2016-17 की तुलना मे पेटेंट, डिजाइन, भौगोलिक उपदर्शन व कॉपीराइट ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है जबकि व्यापार चिह्न के लिए दाखिल कुल आवेदनों की संख्या मे आंशिक कमी देखी गयी है।

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है:

आवेदन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पेटेंट	42,951	42,763	46,904	45,444	**47,854**
डिज़ाइन	8,533	9,327	11,108	10,213	**11,837**
व्यापार चिह्न	2,00,005	2,10,501	2,83,060	2,78,170	**2,72,974**
भौगोलिक उपदर्शन	75	47	14	32	**38**
कॉपीराइट	कॉपीराइट का प्रशासन 2016-17 मे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे स्थानांतरित किया गया।			16617	**17,841**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का प्रशासन 2016-17 मे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे स्थानांतरित किया गया।				02
कुल	**2,51,564**	**2,62,638**	**3,55,898**	**3,50,467**	**3,50,546**

बौद्धिक सम्पदा गतिविधियों के संबंध मे प्रवृत्ति :

क. पेटेंट: इस वित्त वर्ष के दौरान, **47854** पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष दाखिल आवेदनों की तुलना में लगभग 5.3% की वृद्धि दर्शाता है। दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निपटान किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत् है। आवेदनों के

निपटान में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित/अस्वीकृत व आवेदकों द्वारा आहरित व परित्यक्त आवेदन शामिल हैं।

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
दाखिल	42,951	42,763	46,904	45,444	47,854
परीक्षित	18,615	22,631	16,851	28,967	60,330
अनुदानित	4,227	5,978	6,326	9,847	13,045
निपटान	11,411	14,316	21,987	30,271	47,695

2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना मे परीक्षित पेटेंट आवेदनों की संख्या मे दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों मे, 2016-17 की तुलना मे, परीक्षण मे 108.2% की वृद्धि देखी गयी, अनुदानित पेटेंट की संख्या मे 32.5% की वृद्धि हुई व निपटान किए गए आवेदनों मे 57.6% की वृद्धि हुई। पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग मे 2016-17 में 29.2% की तुलना मे 2017-18 में 32.5% की वृद्धि हुई।

ख. डिज़ाइन: 2017-18 के दौरान, कुल 11837 डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए गए जो गत वर्ष की तुलना मे 15.9% की वृद्धि दर्शाता है। 2016-17 की तुलना मे 2017-18 मे, परीक्षित आवेदनों की संख्या 11850 रही जो 0.75% की आंशिक कमी दर्शाता है, जबकि पंजीकृत डिज़ाइन की संख्या मे 21.07% की वृद्धि हुई तथा डिज़ाइन आवेदनों के निपटान मे 29.48% की वृद्धि हुई।

डिजाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
दाखिल	8,533	9,327	11,108	10,213	11,837
परीक्षित	7,281	7,459	9,426	11,940	11,850
पंजीकृत	7,178	7,147	7,904	8,276	10,020
आवेदनों का निपटान	7,226	7,218	8,023	8,332	**10,788**

ग. व्यापार चिह्न: इस वर्ष, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के सभी पाँच स्थानों पर व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु 272974 आवेदन दाखिल किए गए। अवधि के दौरान परीक्षित आवेदनों की संख्या दाखिल आवेदनो से अधिक थी तथा इस क्षेत्र मे लंबितता एक माह से भी कम हो गई है, जबकि

पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदनों की संख्या मे 20.3% की वृद्धि देखी गई व 2016-17 की तुलना मे आवेदनों का अंतिम निपटान जिसमे पंजीकृत, अस्वीकृत, आहरित व परित्यक्त आवेदन शामिल है, वह 91.4% रहा।

विगत पाँच वर्षों मे व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
दाखिल	2,00,005	2,10,501	2,83,060	2,78,170	2,72,974
परीक्षित	2,03,086	1,68,026	2,67,861	5,32,230	3,06,259
पंजीकृत	67,876	41,583	65,045	2,50,070	3,00,913
निपटान	1,04,756	83,652	1,16,167	2,90,444	**5,55,777**

घ. **भौगोलिक उपदर्शन:** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, **38** आवेदन दाखिल किए गए व 18 का परीक्षण किया गया। कुल **25** भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पाँच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत हैं।

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
दाखिल	75	47	17	32	38
परीक्षित	42	60	200	28	18
पंजीकृत	22	20	26	34	**25**

ङ. **कॉपीराइट:** 2017-18 के दौरान, कुल 17841 आवेदन प्राप्त हुए तथा 34388 आवेदनों का परीक्षण किया गया, जबकि, कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) की संख्या 19997 रही। वर्ष के दौरान, 29309 नवीन विसंगत पत्र जारी किए गए व निपटान किए गए आवेदनों की कुल संख्या 39799 रही।

2017-18 में कॉपीराइट आवेदन

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न किए गए कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी)	नए विसंगत पत्र जारी	कुल निपटान
2016-17	16617	16584	3596	12988	5444
2017-18	17841	34388*	19997	29309	39799*

(*) इसमें 8642 आवेदन शामिल हैं जिनके लिए कार्य प्राप्त नहीं हुआ है।

च. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्तिः

विगत 5 वर्षों के दौरान बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अनुदान/पंजीकरण की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत् है। कोष्ठक में प्रदत्त संख्या कुल निपटान प्रदर्शित करती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति - अनुदानित/पंजीकृत (और निपटान किए गए)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पेटेंट	4,227 (11,411)	5,978 (14,316)	6,326 (20,429)	9,847 (30,271)	13,045 (47,695)
डिज़ाइन	7,178 (7,226)	7,147 (7,218)	7,904 (8,023)	8,276 (8,332)	10,020 (10,788)
व्यापार चिह्न	67,876 (104756)	41,583 (83,652)	65,045 (1,16,167)	2,50,070 (2,90,444)	3,00,913 (5,55,777)
भौगोलिक उपदर्शन	22	20	26	34	25
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएसडी)	2016-17 मे अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे स्थानांतरण।			शून्य	शून्य
कॉपीराइट	2016-17 मे कॉपीराइट का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे स्थानांतरण।			3596	19997 (39799)

छ. प्रकाशन एवं अनुदान-पूर्व विरोध: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम,1970 की धारा 11क के तहत 46899 पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत सिर्फ 260 अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल हुए जो प्रकाशित आवेदनों का लगभग 0.55% है। प्रकाशित तथा अनुदान-पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	प्रकाशन	अनुदान पूर्व विरोध
2013-14	31413	309
2014-15	26934	247
2015-16	41752	290
2016-17	86,766	206
2017-18	**46899**	**260**

ज. राजस्व और व्यय: वर्ष 2017-18 के दौरान अर्जित कुल राजस्व रु.769.73 करोड़ था जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 26% अधिक है, जबकि कुल व्यय रु. 153.58 करोड़ था। पेटेंट व डिजाइन कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व रु. 483.21 करोड़ (पेटेंट रु. 477.06 करोड़ एवं डिजाइन रु. 6.15 करोड़) था, जबकि व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 286.11 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने रु. 0.08 करोड़ तथा पेटेंट सूचना पद्धति और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान ने रु. 0.309 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान बौद्धिक सम्पदा आईपी प्रशासन से संबंधित राजस्व और व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

(i) वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान उत्पादित राजस्व का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	2016-17 (लाख मे रु.)	2017-18 (लाख मे रु.)
पेटेंट	41003.18	47706.62
डिज़ाइन	551.44	615.92
व्यापार चिह्न	19236.89	28611.35
जीआईआर	12.40	8.31
पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम	27.60	30.91
कुल	60831.51	76973.12

(ii) आईपीओ मे वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए व्यय की तुलना

वर्ष	2016-17 (लाख मे रु.)			2017-18 (लाख मे रु.)		
	यो.	गै. यो.	कुल	यो.	गै. यो.	कुल
सीजीपीडीटीएम	7533.90	4967.05	12500.95	9561.51	5417.49	14979.00
पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम	99.85	251.59	351.44	122.49	199.89	322.38
जीआई रजिस्ट्री	-	56.60	56.60	-	57.42	57.42
कुल	**7633.75**	**5275.24**	**12908.99**	**9684.00**	**5674.80**	**15358.80**

अध्याय – II

जन सेवा प्रदान – दक्षता और पारदर्शिता

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प ने कार्यात्मक दक्षता में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने, सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान को सुव्यवस्थित करने, बौद्धिक सम्पदा प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित करने और बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर वैश्विक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए गतिविधियाँ जारी रखीं। देश में आईपी-पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के उद्देश्य से आंतरिक आईटी प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत कार्य-प्रवाह, आईपी सूचना के प्रसार और ऑनलाइन आईपी-संबंधित सेवाओं को और उन्नत करने के लिए पहल की गई है।

पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है, उनके संबंध में, समय-बद्धताओं के कड़ाई से पालन के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईएसआर व आईपीईआर) प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। आईएसए / आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने अब पेटेंट सहयोग संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) जारी करने में 99% समयबद्धता हासिल की है।

मेड्रिड प्रोटोकॉल के तहत (वायपो द्वारा प्रशासित व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के तहत संधि) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, मुंबई का 'उद्गम कार्यालय' व 'नामित करार पार्टी कार्यालय' के रूप मे कार्य करने को और सुव्यवस्थित किया गया ताकि उद्गम देश के अनुसार विभिन्न देशों मे एक ही आवेदन दाखिल कर व्यापार चिह्न को वैधानिक संरक्षा प्रदान की जा सके।

जन सेवा प्रदान को व्यवस्थित बनाने, बौद्धिक संपदा कार्यालयों के कार्यप्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों का सारांश निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

1. **पेटेंट:** वर्ष के दौरान किए गए विधायी संशोधन और प्रक्रियात्मक सुधार निम्नलिखित पैरा में स्पष्ट किए गए हैं।

   1.1. **विधायी सुधार:**

   पेटेंट नियम, 2003 में वर्ष 2016 में हुए संशोधनों ने भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार ढांचे को जो गति प्रदान की उसी को कायम रखते हुए स्टार्टअप की संशोधित परिभाषा को शामिल करने के लिए पेटेंट नियम, 2003 को 01 दिसंबर, 2017 को पुनः संशोधित किया गया है। तदनुसार, अब नई परिभाषा के अनुसार, "स्टार्टअप" का अर्थ भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त अस्तित्व है। विदेशी अस्तित्व के मामले में, वह अस्तित्व जिसने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अनुसार टर्नओवर और निगमन पंजीकरण की अवधि को पूरा किया है तथा उस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करेगा।"

   पेटेंट नियम 2003 में संशोधन 16 मई, 2016 से लागू किए गए जिसके फलस्वरूप पेटेंट कार्यालय के कामकाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए जिनके कारण पेटेंट प्रक्रियाओं के सुधार और सरलीकरण तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालय को आईटी सक्षम बनाया गया। इसमें पेटेंट आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए समयसीमा को सुव्यवस्थित करना, 80% शुल्क रियायत के साथ आवेदक की नई श्रेणी के रूप में स्टार्टअप की शुरुआत करना, स्टार्टअप तथा जिन आवेदकों ने भारतीय पेटेंट कार्यालय को अपने पीसीटी आवेदनों के लिए आईएसए/आईपीईए के रूप मे चयन किया है उनके त्वरित परीक्षण के लिए अनुमति देना, पेटेंट अभिकर्ताओं द्वारा ई-फाइलिंग अनिवार्य, प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी होने से पहले आवेदन वापस लेने की अनुमति देना और परीक्षण के लिए अनुरोध दर्ज करने के लिए शुल्क की वापसी, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा, विपक्षी कार्यवाही में सुनवाई का सीमित स्थगन, पीसीटी आवेदक को भारत में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते

समय दावों को हटाने की अनुमति देना, अनुक्रम सूचियों के लिए शुल्क को कम करना और प्राकृतिक आपदाओं के मामले में विलंब की अनुमति देना शामिल है।

1.2. प्रक्रियात्मक सुधार:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, कार्यालय ने और डिजिटल पहलों को शामिल करके भारत में आईपीआर व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने के अपने मिशन को जारी रखा। इसमें शामिल है:

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**: वर्ष के दौरान, सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को सीधे आवेदक/एजेंट के स्थान से पेटेंट कार्यालय में सुनवाई की सुविधा के लिए उन्नत बनाया गया। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक अब अपने डेस्कटॉप/लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का संचालन कर सकता है।

- **मोबाइल एप:** कार्यालय ने दिसंबर 2017 में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.nic.in या प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- **एसएमएस अलर्ट सुविधा:** कार्यालय ने आवेदकों को सफल फाइलिंग, एफईआर जारी करने, सुनवाई की सारणी, निपटान, विरोध और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में मदद करने के लिए नवंबर 2017 में एसएमएस अलर्ट सुविधा प्रारम्भ की है।

1.3. भारत के पेटेंट ढांचे में विधायी और प्रक्रियात्मक सुधार के प्रभाव:

- 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान, भारत में पेटेंट गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में सुधार देखा गया। जहां पेटेंट आवदन दाखिल करने मे 5.3% की वृद्धि हुई वहीं परीक्षित आवेदनों की संख्या मे 108.3% की वृद्धि हुई है। 2016-17 की तुलना में, परीक्षण के बाद का प्रदर्शन भी काफी हद तक बढ़ गया, पेटेंट अनुदान की संख्या में 32.5% की वृद्धि हुई **और आवेदनों के अंतिम निपटान में 57.6% की वृद्धि हुई। 2016-17 की 29.2% की तुलना मे 2017-18 मे घरेलू फाइलिंग मे 32.5% की वृद्धि हुई है।**

- अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक वर्क-फ्लो और तकनीकी जनशक्ति अर्थात परीक्षकों व नियंत्रकों के संवर्द्धन की मदद से आउटपुट बढ़ाकर पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण में लंबितता को कम करने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। वर्ष के दौरान, ठोस प्रयासों के साथ पेटेंट आवेदन की परीक्षण में लंबितता को परीक्षण के लिए अनुरोध के दाखिल होने की तारीख से पहले के 72 महीने से लगभग 54 महीने तक नीचे लाया गया है और इसे प्रमुख आईपी कार्यालयों के बराबर लाने के लिए आने वाले वर्ष में और कम करने का इरादा है।

2. व्यापार चिह्न:

2.1. विधायी संशोधन:

व्यापार चिह्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम मे व्यापक संशोधन किए गए थे जो 6 मार्च, 2017 से लागू किए गए जिसमें बड़े बदलाव थे जैसे, फॉर्म की संख्या 74 से घटा कर 8 तक कम करना, सभी प्रकार के व्यापार चिह्न आवेदनों के लिए एक आवेदन फॉर्म का प्रावधान, स्टार्टअप, व्यक्तियों और लघु उद्यमों के लिए निर्धारित शुल्क में 50% की रियायत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, सेवा के रूप में ईमेल का समावेश, सुनवाई के स्थगन की संख्या दो तक प्रतिबंधित इस प्रावधान के साथ कि प्रत्येक स्थगन तीस से अधिक दिनों के लिए नहीं होना चाहिए, आवेदन को ऑनलाइन दाखिल करने पर निर्धारित शुल्क में 10% की रियायत, फीस (व्यक्तिगत/स्टार्टअप/लघु उद्यमों के लिए कम शुल्क) के भुगतान पर संपूर्ण व्यापार चिह्न अभियोजन प्रक्रिया के लिए शीघ्र कार्यवाही की अनुमति देना, शपथपत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विस्तार दाखिल करने का प्रावधान हटाना ताकि निपटान में तेजी लाई जा सके।

2.2. प्रक्रियात्मक सुधार:

वर्ष के दौरान, प्रक्रियात्मक सुधार व व्यापार चिह्न प्रक्रिया में पुनर्रचना ने कामकाज में निम्नलिखित सुधार लाए हैं:

खोज प्रणाली को कारगर बनाने के लिए व्यापार चिह्न हेतु माल और सेवाओं के वर्गीकरण के लिए ऑनलाइन खोज सुविधा को और अद्यतन किया गया है,

परीक्षण के लिए आवेदनों का आवंटन उनकी वरिष्ठता के क्रम में स्वचालित रूप से किया जाता है, इस प्रकार किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचा जाता है,

पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से प्रक्रियागत हो जाता है और आवेदक के निर्दिष्ट ईमेल-आईडी पर भेज दिया जाता है और यह कार्यालय द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में भी अपलोड हो जाता है। नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी स्वचालित कर दिया गया है जहां नवीकरण अनुरोध (नियत समय में दायर), प्रक्रियागत हो जाता है और वैधता तिथि अद्यतन हो जाती है,

इस वर्ष के दौरान आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रत्येक सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार चिह्न रजिस्ट्री जर्नल में पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदनों के विवरण का प्रकाशन और सुव्यवस्थित किया गया।

आधिकारिक संचार को आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट के ईमेल आईडी पर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है,

व्यापार चिह्न मामलों से संबंधित व्यापार चिह्न परीक्षण रिपोर्ट व अन्य सभी बहिर्गामी पत्राचार संबंधित पार्टी को कार्यालय द्वारा जारी किए जाने के तुरंत बाद वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं, साथ ही ईमेल और एसएमएस अलर्ट भी किया जाता है।

उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए वेबसाइट पर सुनवाई नोटिस और स्थगन के विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।

व्यापार चिह्न प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक सुधारों और पुनर्रचना के परिणामस्वरूप, 2017-18 के दौरान व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण मे लंबितता 1 माह से कम समय तक कायम रखी गई है। इसके अलावा, प्रकाशन के लिए व्यापार चिह्न आवेदनों की स्वीकृति वर्ष 2016-17 में 10% से कम से बढ़कर इस वर्ष लगभग 46% हो गई है। 2016-17 की तुलना मे व्यापार चिह्न के

पंजीकरण मे 20.3% की वृद्धि हुई तथा अंतिम निपटान मे 91.4% की वृद्धि हुई है। इन उपर्युक्त उपायों के साथ, अगर आवेदन क्रम में है और कोई विरोध नहीं है तो व्यापार चिह्न हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया 6-7 महीने में पूरी हो जाती है। भारत में 75 वर्षों के व्यापार चिह्न शासन (1940-2015) के दौरान दिए गए कुल 11 लाख पंजीकरणों के मुक़ाबले केवल 2 वर्षों (2016-17 तथा 2017-18) में 5.5 लाख से अधिक व्यापार चिह्न पंजीकृत हुए।

3. डिजाइन

- बेहतर कामकाज की सुविधा के लिए नए डिजाइन आवेदनों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा को और अद्यतन किया गया।
- नए आवेदनों के परीक्षण मे लंबितता दाखिल करने से एक माह के लगभग लायी गयी। संशोधित आवेदनों की लंबितता को दूर करने के उपायों को काफी हद तक मजबूत किया गया है ताकि लंबितता को कम किया जा सके।
- 2016-17 की तुलना मे 2017-18 के दौरान दाखिल आवेदनों मे 15.9% की वृद्धि हुई तथा पंजीकृत डिजाइन की संख्या मे 21.1% की वृद्धि हुई।

4. भौगोलिक उपदर्शन:

- भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर) को 15 मार्च 2003 से 31 मार्च, 2017 तक भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु 613 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 320 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।
- परीक्षण और पंजीकरण में लंबितता हटाने के लिए वर्ष के दौरान आवश्यक कदम उठाए गए। परिणामस्वरूप, 18 भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की जांच की गई और प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 25 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।
- रजिस्ट्री ने प्राधिकृत उपयोक्ताओं के पंजीकरण में तेजी लाई और कुल 2699 प्राधिकृत उपयोक्ता पंजीकृत किए गए।

5. कॉपीराइट:

- कॉपीराइट कार्यालय के प्रशासन को 2016-17 में महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। तदोपरांत, कम्प्यूटरीकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और जनशक्ति के उन्नयन के माध्यम से कॉपीराइट कार्यालय के कामकाज को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष के दौरान, परीक्षण और निपटान में लंबितता को हटाने की दिशा में एक विशेष अभियान चलाया गया। इन चरणों के परिणामस्वरूप, कॉपीराइट की सभी गतिविधियों में प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार हुआ है।
- वर्ष के दौरान, दाखिल आवेदनों मे 7.4% की वृद्धि हुई है तथा परीक्षित आवेदनों की संख्या मे 92.7% की वृद्धि हुई है। कॉपीराइट आवेदनों के परीक्षण में लंबितता 1 माह से भी कम हो गई है, जो मार्च 2017 से पहले 13 महीने थी।
- इसके अलावा, गत वर्ष की तुलना मे 2017-18 के दौरान, कॉपीराइट पंजीकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें 456% की वृद्धि हुई है, जबकि आवेदनों के अंतिम निपटान में 631% की वृद्धि हुई है।
- पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदनों, निपटान व लंबितता को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

6. आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और बौद्धिक सम्पदा कार्यालय में महत्वपूर्ण सुधार:

i. आईटी सेवाओं का उन्नयन:

वर्ष के दौरान, सभी आईटीओ स्थलों पर भौतिक व आईटी अवसंरचना और संबंधित सेवाओं को उन्नत किया गया ताकि वह बढ़ी हुई जनशक्ति और कम्प्यूटरीकरण, बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आईटी-सक्षमता की मांगो का सामना कर सके जिससे कार्यवाही मे तेज़ी लायी जा सके।

ii. व्यापक ई-फाइलिंग सुविधाएं

भुगतान गेटवे सुविधा के साथ पेटेंट, व्यापार चिहन व डिज़ाइन के लिए व्यापक ई-फाइलिंग

सुविधा 24x7 आधार पर उपलब्ध है। पेटेंट व डिजाइन के अनुरूप व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम 2017 के माध्यम से व्यापार चिह्न हेतु शुल्क में 10% रियायत उपलब्ध कराई गई है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की कुशल ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं ने न केवल कार्यालय को प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाया है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप हितधारकों ने ऑनलाइन आईपी सेवाओं की अभूतपूर्व मांग भी की है। पेटेंट में ऑनलाइन फाइलिंग 90% से अधिक है और व्यापार चिह्न में यह लगभग 86% है। इसके अलावा, हितधारकों की ई-फाइलिंग संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, विशेष आईपीओ सहायता समूह स्थापित किया गया है।

7. **बहु आयामी वेबसाइट और सूचना प्रसार:**

आईपीओ वेबसाइट की विषयवस्तु को सुधारने और पहुंच में आसानी के लिए दोबारा बदल दिया गया है और इसे अधिक अन्योन्यक्रियात्मक (इंटरेक्टिव), सूचनात्मक और नेविगेट करने में आसान बना दिया गया है। पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन की फाइलिंग व कार्यवाही के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर आईपी डाटा उपलब्ध कराया जाता है। हितधारकों को आईपी सूचना के परेशानी मुक्त प्रसार के लिए वेबसाइट लॉगिन-मुक्त खोज सुविधा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान वेबसाइट के माध्यम से गतिशील वेब–आधारित नवीन उपयोगिताओं को प्रदान करके सूचना के प्रसार में और सुधार किया गया।

8. **हितधारक परामर्श बैठकें:**

हितधारकों के साथ नियमित बैठकें विभिन्न आईपीओ स्थानों पर आयोजित की जाती हैं ताकि आईपी विधानों में संशोधनों से संबंधित प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों को समझने और हल करने, प्रक्रियाओं की पुनर्रचना, मॉड्यूल-आधारित कार्य-प्रवाह, प्रणालीगत उन्नयन, हितधारकों के साथ संचार और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो सके।

वर्ष के दौरान, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के साथ हितधारकों की बैठकें दिल्ली में आयोजित की गईं। बैठक के दौरान, बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए और

मुद्दों को हल करने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट कार्यालय द्वारा आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित की गई है।

9. **प्रतिक्रिया तंत्र:**

1 मार्च, 2017 से बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की वेबसाइट www.ipindia,nic.in पर प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे हितधारकों को कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबन्धित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रिया और सुझाव दर्ज करने, शिकायत व सामान्य प्रश्न में मदद मिलती है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय में हितधारकों के सुझाव/ शिकायतों को तुरंत सुलझाने के लिए विशिष्ठ समूह तैयार किया गया है जो तुरंत कार्यवाही करता है और ई-मेल के माध्यम से संबन्धित व्यक्ति को जवाब सूचित करता है।

10. **बौद्धिक सम्पदा अधिकार मे जागरूकता:**

कार्यालय नियमित रूप से आईपी प्रक्रियाओं के संबंध में वास्तविक और संभावित आईपी हितधारकों के लिए देश में सीआईपीएएम (डीआईपीपी) व और औद्योगिक संगठनों जैसे सीआईआई, फिक्की (फिक्की), असोचम, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, सीडबल्यूईआई आदि के सहयोग से बौद्धिक सम्पदा अधिकार में जागरूकता और सार्वजनिक बहिर्क्रियाकलाप गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सूचना और ज्ञान के प्रसार में व्यस्त है। आईपीआर हेल्प-डेस्क व ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रणाली प्रत्येक बौद्धिक सम्पदा कार्यालय स्थल पर उपलब्ध है। आईपीओ अधिकारी नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेते हैं और विश्वविद्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित कार्यशालाओं / सेमिनारों में भी भाग लेते हैं।

11. **स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए पहल**

स्टार्टअप आवेदकों को उनके बौद्धिक सम्पदा आवेदनों के संबंध में पर्याप्त शुल्क रियायत प्रदान की जाती है। हाल मे हुए पेटेंट और व्यापार चिह्न नियमों में संशोधन के अनुसार, पेटेंट आवेदन के

लिए 80% शुल्क रियायत तथा व्यापार चिह्न आवेदन के लिए 50% शुल्क रियायत आवेदन दाखिल करते वक्त व बाद की सभी प्रक्रियाओं में उपलब्ध है।

भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप, इस कार्य के लिए नामित नोडल एजेंसी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने "स्टार्ट अप बौधिक सम्पदा संरक्षा (एसआईपीपी) सुविधा हेतु योजना" की शुरुआत बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए की। यह योजना, जो शुरू में 31-03-2017 तक लागू थी, को अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना मे स्टार्टअप को उनके पेटेंट, डिज़ाइन व व्यापार चिह्न आवेदन को दाखिल करने/आगे की प्रक्रिया हेतु सुविधा प्रदाता प्रदान करना व् सुविधा प्रदाता के व्यावसायिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। । पेटेंट, डिज़ाइन व व्यापार चिह्न के सुविधा दाताओं की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने एसआईपीपी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। । स्टार्ट अप के प्रश्नों का हल करने के लिए इ-मेल व हेल्प डेस्क के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। ।

12. **अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के लिए सुविधाएं:**

- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों को पीसीटी आवेदनों के लिए शुल्क के प्रसारण में देरी से बचने के लिए पीसीटी आवेदन शुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे शुरू किया गया है।

13. **वायपो सीएएसई व वायपो डीएएस:**

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के लिए जनवरी 2018 से वायपो सीएएसई के साथ-साथ वायपो डीएएस दोनों कार्यात्मक हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय वायपो-इंडिया सहयोग समझौते के तहत वायपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्ज़ामिनेशन सिस्टम (वायपो सीएएसई) और वायपो डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) के लिए एक एक्सेसिंग और डिपॉजिटिंग ऑफिस बन गया है।

- डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) भागीदार पेटेंट कार्यालयों से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के लिए आसान, सुरक्षित, त्वरित और सस्ती प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जो पेटेंट कार्यालय के अलावा आवेदकों, हितधारकों और सामान्य रूप से जनता को लाभान्वित करेगा। डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं;
    - आवेदक प्रथम फाइलिंग के कार्यालय से प्राथमिकता दस्तावेज डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) प्रणाली मे जमा करने/प्राथमिकता दस्तावेज जोड़ने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, और दूसरी फाइलिंग के कार्यालयों से इस तरह के दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सेवा का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं।
    - डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) द्वारा एक्सेस को अधिकृत करने के लिए दिए गए एक्सेस कोड का उपयोग;
    - सुरक्षित चैनलों के माध्यम से दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है;
    - डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) सेवा को वायपो द्वारा होस्ट और प्रशासित किया जाता है।
    - दूसरी फाइलिंग के प्रत्येक कार्यालय को अलग से प्राथमिकता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
    - प्राथमिकता दस्तावेजों की कई कागजी प्रतियों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है;

तदनुसार, निक्षेप कार्यालय के रूप में आईपीओ, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन आवेदनों की प्रमाणित प्रतियों को प्राथमिकता दस्तावेजों के रूप में अपलोड करता है, जिसमें (आरओ / आईएन) कार्यालय में 31/01/2018 को और उसके बाद पीसीटी के तहत दाखिल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन शामिल हैं, जो आवेदक विशेष रूप से अनुरोध करता है कि ऐसे प्राथमिकता वाले दस्तावेजों को वायपो डीएएस को उपलब्ध कराये जाएँ।

14. अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर रिपोर्ट):

लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट वायपो के पीसीटी विनियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रूप में पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट खोज (www.wipo.int/patentscope) पर प्रकाशन के लिए 1 जनवरी 2018 से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ-साथ पूर्ण खोज रणनीतियों को साझा करना शुरू कर दिया है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रूप मे गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। पीसीटी के तहत 22 आईएसए मे से भारतीय पेटेंट कार्यालय इस सेवा को शुरू करने वाला सातवाँ है।

15. सूचना का अधिकार :

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति बौद्धिक सम्पदा कार्यालय पूर्णतया प्रतिबद्ध है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के क्रियाकलापों में सम्पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से सम्बंधित जानकारी आम जनता के सूचनार्थ आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी अभिप्राय तथा अधिदेश का पूर्ण अनुसरण करते हुए अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गयी।

पेटेंट

1. परिचय:

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 46वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय भौगोलिक रूप से विभाजित है तथा चार महानगरों कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई तथा दिल्ली में स्थित है जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश मे विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप मे कार्य करते हैं, जिसमे जहाँ देश भर मे एक पेटेंट अनुदानित किया जाता है जो देश भर मे लागू होता है। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश मे हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबन्धित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं।

2. पेटेंट आवेदन:

2017-18 में पेटेंट अनुदान के लिए दाखिल आवेदनों की संख्या **47,854** थी जो **2016-17** की सम्पूर्ण फाइलिंग की संख्या **45,444** मे 5.3% की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है सिवाय कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य अभियंत्रणा, पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा धातुकर्म व सामग्री विज्ञान जिनमें विगत वर्ष की तुलना में आंशिक कमी देखी गई है।प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े **परिशिष्ट-ङ और ङ1** में दिखाए गए हैं।

(क) भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

कुल **47,854** आवेदनों में से भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **15,550**

रही जो गत वर्ष से लगभग **18%** की वृद्धि दर्शाती है, जब ऐसे आवेदनों की संख्या **13,219** थी। 2016-17 के 29.2% की तुलना मे, इस वर्ष, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन, कुल दाखिल आवेदनों के लगभग 32.5% रहे। यह गत वर्षों के घरेलू फाइलिंग मे सतत वृद्धि का क्रम दर्शाता है। वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **(32,304)** 2016-17 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या **(32,225)** की तुलना में आंशिक वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल आवेदनों के संदर्भ मे, वर्ष 2016-17 के दौरान दाखिल अपने आवेदनों की संख्या में 6% की वृद्धि के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। जबकि जबकि तमिलनाडु अपने द्वारा दाखिल आवेदनों में 36% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर बना रहा। कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश ने दाखिल आवेदनों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में मध्यम से उच्च वृद्धि दर्शायी है।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं (आवेदनों की संख्या कोष्ठक मे दी गयी है) महाराष्ट्र (3,744), तमिलनाडु (2,737), कर्नाटक (1,971), दिल्ली (1,419), तेलंगाना (974), उत्तर प्रदेश (719), गुजरात (702), पश्चिम बंगाल (533), हरियाणा (444), केरल (308), आंध्र प्रदेश (271), पंजाब (247), मध्य प्रदेश, (190), राजस्थान (186), झारखंड (168), उड़ीसा (164), उत्तराखंड (128) और हिमाचल प्रदेश (110). राज्यसंघ/ शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट **ख** में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन - राज्यानुसार

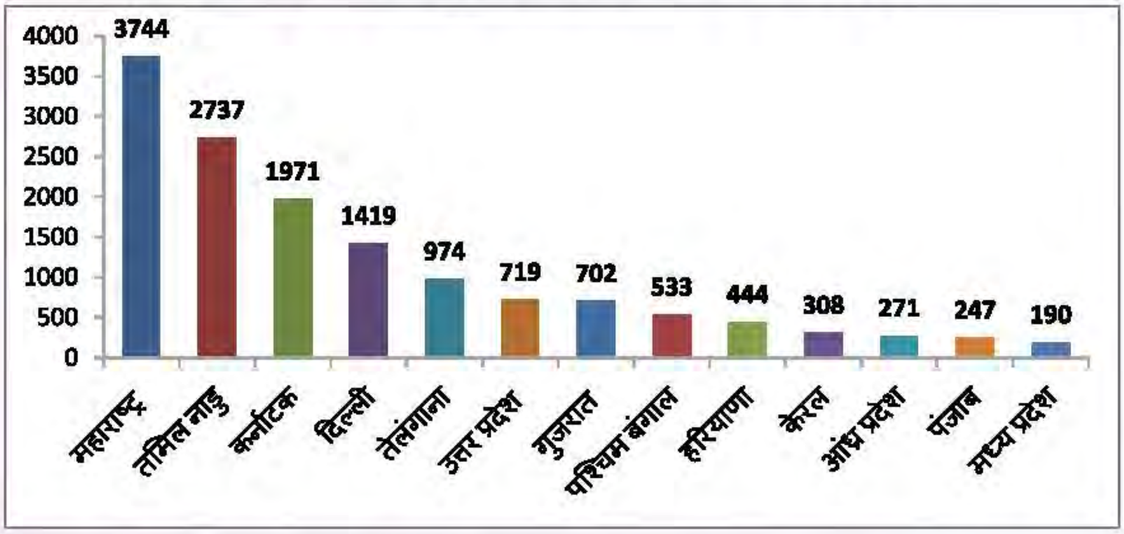

3. आवेदनों का श्रेणीवार वितरण

2016-17 व 2017-18 के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई) तथा प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी) के आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। यह देखा गया है कि भारतीय स्टार्टअप व लघु अस्तित्व द्वारा दाखिल आवेदनों मे प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

वर्ष	प्रकृत व्यक्ति (एनपी)		स्टार्टअप (एसयू)		लघु अस्तित्व (एसई)		प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी)		कुल
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
2016-17	5918	1622	160	3	412	120	6729	30480	45444
2017-18	6811	1444	511	4	491	131	7737	30725	47854

4. शीघ्र परीक्षण स्थिति:

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण नीचे दिया गया है। यह देखा गया है कि शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने मे प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। ऐसा इस वजह से है कि इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदनों का परीक्षण व अनुदान हेतु कार्यवाही तुरंत की जाती है तथा निपटान औसतन शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाता है।

आवेदक की श्रेणी	शीघ्र परीक्षण हेतु दाखिल अनुरोध	प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफ़ईआर) जारी	अनुदानित पेटेंट	अस्वीकृत
स्टार्टअप	161	137	10	8
आईएसआर हेतु आवेदन	273	195	56	1
कुल	434	332	66	9

5. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक

क्रम सं.	कंपनी का नाम	दाखिल आवेदन
1	विप्रो लिमिटेड	125
2	टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड	90
3	हाइक लिमिटेड	66
4	डॉ. कानापथी गोपालकृष्णन	36
5	एचसीएल टेक्नोलॉजिस लिमिटेड	32
5	एसआरएम यूनिवर्सिटी	32

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे विप्रो लिमिटेड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड द्वितीय स्थान पर रहा।

6. वैज्ञानिक तथा अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक

क्र.सं.	वैज्ञानिक तथा अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम	दाखिल आवेदन
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	176
2	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	126
3	जी.एच.आर. लैब्स एंड रिसर्च सेंटर	57
4	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	37
5	एल एंड टी टेक्नोलोजी सर्विसेज लिमिटेड	19
6	कोग्निजेंट टेक्नोलोजी सोल्युशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	16
7	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान	14
7	मेरिल लाइफ साइनसेस प्राइवेट लिमिटेड	14
8	एलिनोव रिसर्च & डेवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	13
8	एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस	13
9	आइडियाफ़ोर्ज टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	10
10	जीएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड	9

इस श्रेणी मे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शीर्ष स्थान पर रहा जबकि प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन व जी.एच.आर. लैब्स एंड रिसर्च सेंटर क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

7. संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक

क्र.सं.	संस्थानों और विश्वविद्यालयों के नाम	दाखिल आवेदन
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	540
2	अमिटी यूनिवर्सिटी	119
3	सविता डेंटल कॉलेज एंड होस्पिटल्स, सविता यूनिवर्सिटी	118
4	एसआरएम यूनिवर्सिटी	81
5	भारथ यूनिवर्सिटी	66
6	शूलीनी यूनिवर्सिटी	62
7	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस	58
7	भारतीय विज्ञान संस्थान	58
8	जी.एच.रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	56
8	जी.एच.आर. लेब्स एंड रिसर्च सेंटर	56
9	संदीप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीन्यरिंग एंड मैनेजमेंट	46
10	केसीजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी	40

इस वर्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) शीर्ष स्थान पर रहे जबकि अमिटी यूनिवर्सिटी व सविता डेंटल कॉलेज एंड होस्पिटल्स, सविता यूनिवर्सिटी क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

(ङ) विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

i. कन्वेंशन आवेदन:

गत वर्ष के **3,649** की तुलना मे वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत प्रायिकता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **3,644** रही जो कन्वेंशन आवेदनों को दाखिल करने की समान प्रवृत्ति दर्शाता है।

ii. पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदन:

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या 26,584 रही जो विगत वर्ष की संख्या 26,645 की तुलना में आंशिक कमी दर्शाता है।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष देश थे: संयुक्त राज्य अमेरिका **(8,619)**, जापान **(3,537)**, जर्मनी **(2,166)**, चीन गणतंत्र **(2,115)**, नीदरलैंड **(1,331)**, कोरिया गणतंत्र **(1,104)**, यूनाइटेड किंगडम **(1,017)**, स्वीडन **(1,001)**, फ्रांस **(953)**, स्विट्ज़रलैंड **(947)**, इटली **(487)**, डेन्मार्क **(312)**, इज़राइल **(296)**, बेल्जियम **(285)**, कनाडा **(278)**, ऑस्ट्रेलिया (237), ऑस्ट्रीया **(221)**, फ़िनलैंड **(175)** तथा स्पेन **(139)**। देशानुसार विवरण **परिशिष्ट ख** में प्रदर्शित किया गया है।

पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज हेतु शीर्ष दस आवेदक (देशानुसार)

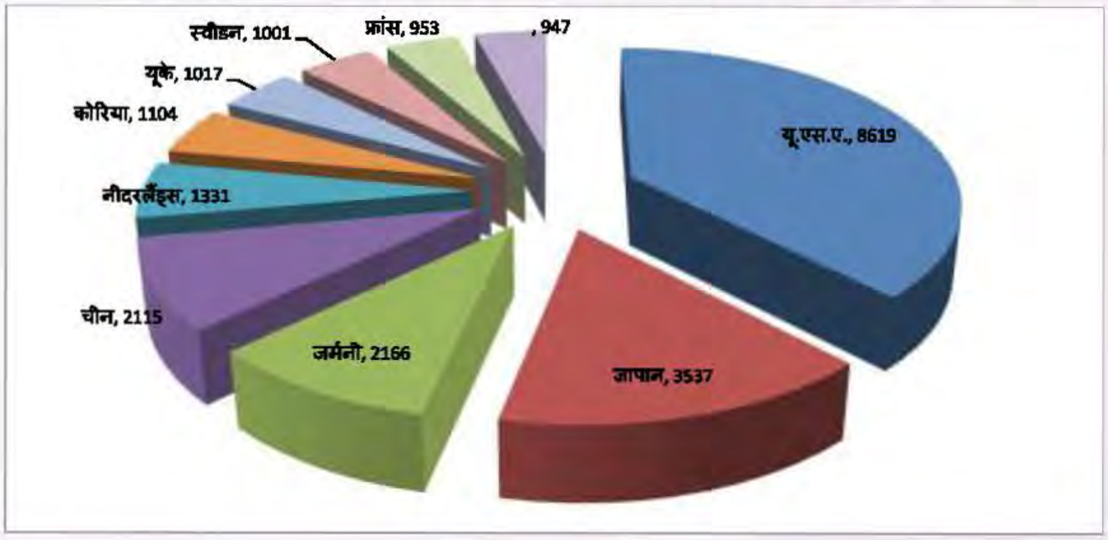

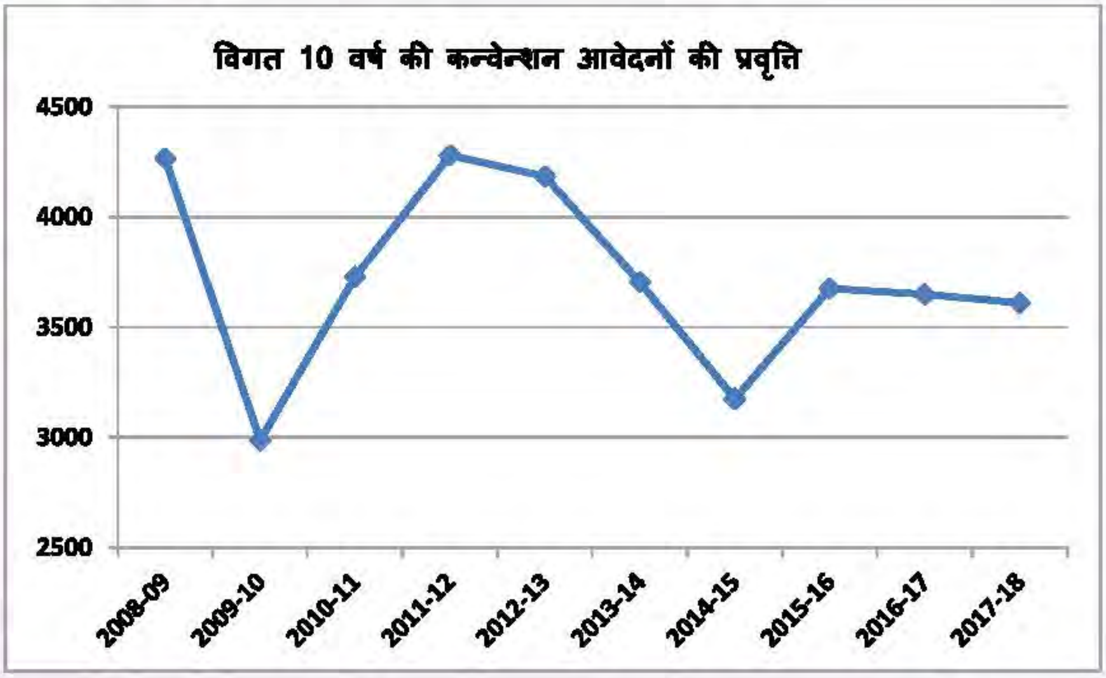

iii. शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

निम्नलिखित तालिका उन **शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों** की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2017-18 के दौरान पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह पाया गया है कि क्वालकम इंकॉरपोरेटेड इस सूची मे अग्रणी बना रहा। इसके बाद कोनिनक्लीके फिलिप्स एन.वी., फिलिप्स लाइटिंग होल्डिंग बी. वी., गूगल एलएलसी इत्यादि का स्थान रहा।

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

क्र.सं.	संगठन का नाम	दाखिल आवेदन
1	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	960
2	कोनिनक्लीके फिलिप्स एन.वी.	520
3	फिलिप्स लाइटिंग होल्डिंग बी. वी.	217
4	गूगल एलएलसी	184
5	मित्सुबिशी इलैक्ट्रिक कॉर्पोरेशन	176
6	जेनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी	142
7	डाइमलर एजी	134
8	टेलिफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	128
8	एबीबी श्वेज एजी	128
9	हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि.	120
10	हौंडा मोटर क. लिमिटेड	110

वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त एवं उद्गम देश तथा राज्य के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दर्शाया गया है।

2008-2009 से 2017-2018 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट "ग"** में दर्शायी गई है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान रसायन, वैद्युतिक, यान्त्रिकी, जैवतकनीक, खाद्य, कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट "ङ" तथा "ङ1"** मे प्रदत सारणी द्वारा दिखाया गया है।

8. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्या

कार्यालय ने गत वर्ष के **28,967** परीक्षित आवेदनों की तुलना मे वर्ष के दौरान **60,298** आवेदनों का परीक्षण किया। इस प्रकार, गत वर्ष की तुलना मे इस वर्ष उन पेटेंट आवेदनों की संख्या मे लगभग **108%** की वृद्धि रही जिनके लिए प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी थी।

9. परीक्षण हेतु अनुरोध का कुल निपटान

गत वर्ष के **30271** की तुलना मे वर्ष के दौरान **47695** परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निपटान किया गया। इस प्रकार, गत वर्ष की तुलना मे परीक्षण हेतु अनुरोधों के निपटान मे लगभग **58%** की वृद्धि दर्शाता है।

10. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंट

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या **13,045** थी, जिनमें से **1,937** भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। 31 मार्च 2018 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **56,764** थी जिनमें से **8,830** पेटेंट भारतीयों के नाम थे। कुल अनुदानित पेटेंट मे से **3,318** पेटेंट रसायन, **2,514** यांत्रिकी, **1,028** कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, **1031** संचार, **773** फर्मास्युटिकल, **818** वैद्युतिक, **505** जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबन्धित आवेदनों के लिए अनुदानित किए गए। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट-"घ"** में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट - "च" व "च1"** मे प्रदर्शित की गई है।

11. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वायपो के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

वर्ष	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल
2013-2014	248	568	**816**
2014-2015	235	566	**801**
2015-2016	234	459	**693**
2016-2017	272	472	**744**
2017-2018	**274**	**490**	**764**

अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति

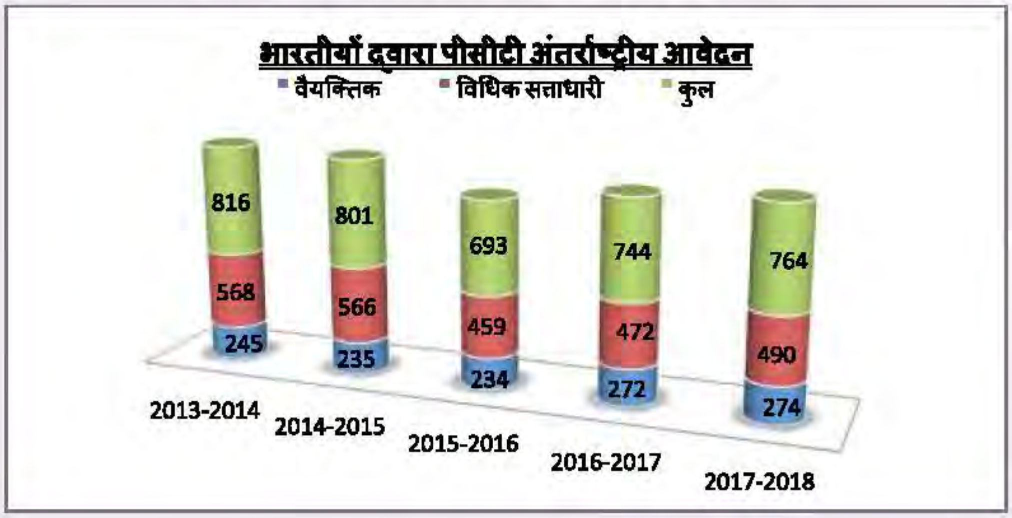

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के सर्वप्रमुख अंशदाता थे - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित), टेलेफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल), मेरिल लाइफ साइन्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड।

12. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ

(क) **परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार:** वर्ष के दौरान पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत **205** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से **1** आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाया गया, **6** आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत्त हुए तथा वर्ष के अंत तक **198** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

(ख) **गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत):** वर्ष के दौरान 173 पेटेंट आवेदन भारत सरकार, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के प्रतिरक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। 2 आवेदन सम्बद्ध पाये गए जबकि **65** आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया। वर्ष 2017-18 के अंत तक **106** आवेदन डीआरडीओ में लंबित रहे।

(ग) **धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन:** वर्ष के दौरान धारा 11(क) के तहत **46,899** आवेदन प्रकाशित किए गए जिनमें वैसे **3,497** आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:

वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-2017**	**2017-2018**
धारा 11 क के तहत प्रकाशन	29,744	25,358	41,752	84,300	**43,402**
शीघ्र प्रकाशन	1,669	1,576	2,316	2,466	**3,497**
कुल	**31,413**	**26,934**	**44,068**	**86,766**	**46,899**

(घ) **अनुदानपूर्व आपत्ति [धारा 25(1) के तहत]:** वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में 260 आवेदन प्राप्त हुए व 108 अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(ङ) **अनुदानोत्तर आपत्ति [धारा 25(2) के तहत]:** वर्ष के दौरान, 18 अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। 8 अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया और प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक 170 अनुदानोत्तर आपत्तियाँ निष्पादन हेतु लंबित रही।

(च) **देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत):** भारत से बाहर आवेदन दाखिल करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए **4,640** आवेदन फॉर्म 25 पर प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान ऐसी **4,519** अनुमति प्रदान की गई।

(छ) **व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत):** वर्ष 2017-18 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए 106 आवेदन प्राप्त हुए व **80** आवेदन प्रत्यावर्तित किए गए।

(ज) **समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत):** इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए **1179** मामले प्राप्त किए गए व प्रतिवेदन वर्ष के दौरान **987** आवेदनों का निपटान कर दिया गया।

(झ) **जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म-27 पर जारी पेटेंट के **46,618** कथन प्राप्त किए गए जिनमे से **12,246** पेटेंट को जारी रहने के रूप में दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रवृत्त पेटेंट	42,632	43,256	44,524	48,765	**56,764**
प्राप्त फॉर्म-27	33,088	31,990	39,507	42,870	**46,618**
जारी रहने के रूप में दर्शाया हुआ	8,435	7,900	8,589	11,318	**12,246**

(ञ) **अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92-क के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ट) **सूचना (धारा 153 के तहत):** वर्ष के दौरान पेटेंट नियम, 2003 के नियम 134 में यथा

प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति करने के लिए पेटेंट कार्यालय ने **100** अनुरोध प्राप्त किए।

(ठ) **अनुलिपि पेटेंट प्रमाण पत्र (धारा 154 के तहत):** 13 अनुरोध प्राप्त किए गए तथा सभी 13 का निपटान वर्ष के दौरान किया गया।

(ड) **पेटेंट अभिकर्त्ताओं का पंजीकरण:** वर्ष के दौरान **404** नए पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2018 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या **2,826** थी।

13. राजस्व एवं व्यय

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग रु. 477.06 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट पर एकत्रित शुल्क का विवरण **परिशिष्ठ - छ** मे दिया गया है।

14. सामान्य सूचना

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी-रोम्स, पुस्तकें और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई-जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश में पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से अन्वेषण संचालित करने हेतु हजारों लोगों ने पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों का दौरा किया।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रदत्त नि:शुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

15. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए **269** अनुरोध प्राप्त किए गए और अधिनियम के तहत प्रदत्त समय-सीमा के अनुसार सभी अनुरोधों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई।

परिशिष्ट-क

परीक्षक एकस्व का विषयवार वितरण

क्र.सं.	विषय	परीक्षकों की संख्या
1	जैवरसायन	13
2	जैव प्रौद्योगिकी	31
3	बायोमेडिकल अभियंत्रणा	22
4	रसायन	101
5	सिविल अभियंत्रणा	12
6	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियंत्रणा	33
7	वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स	121
8	यांत्रिकी	148
9	धातुकर्म	13
10	भौतिकी	50
11	पॉलीमर	17
12	वस्त्र	11
	कुल	572

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन उद्गम राज्य/राष्ट्र के अनुसार वर्गीकृत

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
अंडमान & निकोबार	3	2	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	271	271	0	0	5	7
अरुणाचल प्रदेश	5	6	0	0	0	0
असम	71	68	0	0	0	1
बिहार	63	26	0	0	0	1
चंडीगढ़	33	35	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	48	22	2	1	0	0
दादरा & नागर हवेली	0	3	0	0	0	0

दमन & दीव	4	0	0	0	0	0
दिल्ली	1419	1066	2	0	13	9
गोवा	21	29	0	0	1	0
गुजरात	702	620	1	0	9	13
हरियाणा	444	441	0	0	5	3
हिमाचल प्रदेश	110	40	0	0	0	0
जम्मु & कश्मीर	34	49	0	0	0	0
झारखंड	168	144	0	0	0	0
कर्नाटक	1971	1765	8	23	43	27
केरल	308	276	1	0	3	0
मध्य प्रदेश	190	140	1	1	0	0
महाराष्ट्र	3744	3513	8	12	68	70
मणिपुर	1	2	0	0	0	0
मेघालय	4	0	0	0	0	0
मिज़ोरम	0	3	0	0	0	0
नागालैंड	3	1	0	0	0	0
उड़ीसा	164	103	0	0	2	0
पाण्डिचेरी	23	27	0	0	1	0
पंजाब	247	207	0	0	0	0
राजस्थान	186	181	1	0	3	0
सिक्किम	4	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	2737	2003	4	7	1	8
तेलंगाना	974	798	4	4	21	3
त्रिपुरा	4	7	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	719	625	0	1	2	11
उत्तरांचल	128	64	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	533	460	2	20	3	0
कुल योग	15336	12997	34	69	180	153

राष्ट्रमंडल देश

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2018-18	2016-17
यू.के.	66	32	53	56	1017	920
आस्ट्रेलिया	6	8	6	10	237	224
कनाडा	6	6	11	14	278	294
श्रीलंका	0	1		2	0	2
आयरलैंड	70	65	28	25	88	68
न्यूजीलैंड	0	0	0	1	49	54
समोआ	0	0	0	2	1	0
कुल	148	112	98	110	1670	1562

उत्तर व दक्षिण अमरीका

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
यू.एस.ए.	948	923	612	979	8619	8981
मैक्सिको	0	0	3	2	21	21
ब्राजील	1	0	13	13	35	47
बरमूडा	0	1	0	0	2	2
केमेन आइलैंड	0	0	6	1	127	102
वर्जिन आइलैंड	1	0	0	1	5	19
क्यूबा	0	0	0	0	0	3
कोलंबिया	0	0	0	0	4	7
अर्जेन्टीना	0	0	0	1	5	4
चिली	0	0	0	0	16	11
बहामास	0	1	0	0	2	2
बारबाडोस	0	0	0	0	5	3
पेरु	0	0	0	0	3	2
उरुग्वे	0	0	0	0	2	0
उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश	3	0	3	4	14	13
कुल	953	925	637	1001	8860	9217

यूरोप

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
इटली	8	5	82	69	487	477
जर्मनी	223	245	384	387	2166	2186
बेल्जियम	1	2	13	8	285	262
फ्रांस	62	59	169	141	953	1014
स्पेन	14	6	31	33	139	124
स्विट्जरलैंड	144	99	177	256	947	1112
फिनलैंड	34	31	11	11	175	197
आस्ट्रिया	2	4	18	16	221	230
नीदरलैंड्स	40	46	16	18	1331	1295
स्वीडन	13	21	11	9	1001	809
डेनमार्क	12	13	16	12	312	310
पुर्तगाल	0	0	0	0	15	17
हंगरी	1	1	0	0	14	20
लग्जमबर्ग	0	0	4	1	93	101
रूस	1	0	3	7	89	60
रोमानिया	0	0	0	0	2	2
तुर्की	3	1	2	2	24	27
स्लोवेनिया	0	0	0	0	4	11
नार्वे	1	1	0	2	71	76
साइप्रस	1	0	0	1	8	3
पोलैंड	0	0	7	3	41	24
बुल्गारिया	0	0	0	0	6	3
आइस लैंड	0	2	0	0	3	1
चेक गणराज्य	0	0	5	5	17	22
लिशेन्सटिन	0	0	0	0	11	15
यूक्रेन	0	0	0	0	12	9
स्लोवाकिया	0	1	0	1	4	2
ग्रीस	0	0	0	0	15	26

माल्टा	0	1	0	0	11	6
इस्टोनिया	0	0	0	0	3	1
लात्विया	0	0	0	0	2	2
ब्रिटिश आइल्स	0	0	0	0	4	0
यूरोपियन यूनियन	0	0	2	0	0	0
मोनाको	0	0	0	0	1	0
अन्य यूरोपीय देश	5	1	0	3	18	41
कुल	**565**	**539**	**951**	**985**	**8485**	**8485**

परिशिष्ट- ख जारी

अफ्रीका

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
दक्षिण अफ्रीका	2	1	5	0	39	42
मॉरिसस	1	0	0	0	1	3
सेशेल्स	1	0	1	0	1	2
स्वाजीलैंड	0	0	0	0	0	0
कीनिया	0	0	0	1	2	3
इजिप्ट	0	0	0	0	0	3
ट्यूनिशिया	0	0	0	0	0	0
साओ तोम एंड प्रिंसिपे	1	0	0	0	0	0
ज़ाम्बिया	0	0	0	0	1	1
मोरक्को	0	0	0	0	2	0
अन्य अफ्रीकी देश	0	0	2	0	5	2
कुल	5	1	8	1	52	56

एशिया

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
जापान	57	57	893	819	3537	3399
अफ़ग़ानिस्तान	2	0	0	0	2	0
आज़र्बेजान	1	0	0	0	0	0
कजाखिस्तान	0	0	1	0	3	0
कुवैत	0	0	0	0	1	0
जॉर्डन	0	0	0	0	1	0
नेपाल	0	0	0	0	1	0
ओमान	0	0	0	0	1	0
बाहरेन	0	0	0	0	3	0
कोरिया गणराज्य	406	370	226	159	1104	998
चीन	22	13	435	293	2115	2256
इजराइल	9	5	31	29	296	266
ताइवान	45	48	304	220	40	27
इंडोनेशिया	1	1	0	1	1	0
वियतनाम	0	0	0	1	3	0
सिंगापुर	41	32	9	4	101	105
मलेशिया	4	2	4	7	33	20
यू.ए.ई	14	9	0	0	20	18
फिलीपींस	0	1	0	0	2	2
थाइलैंड	2	1	3	2	18	17
हाँग-काँग(चीन)	9	2	6	12	14	3
सउदी अरब	2	1	0	0	32	52
ईरान	1	2	0	0	2	2
उज्बेकिस्तान	0	0	0	0	1	0
अन्य एशियाई देश	3	5	5	5	6	7
कुल	619	549	1916	1552	7337	7172
कुल योग	17626	15081	3644	3718	26584	26645

परिशिष्ट "ग"

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्‌वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत में रहने वाले	6161	7044	8312	8921	9911	10941	12071	13066	13219	15550
प्रवासी										
साधारण	681	826	816	1031	1144	1228	1461	1915	2084	2290
कन्वेंशन	4264	2986	3728	4280	4184	3704	3174	3675	3649	3610
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	25706	23431	26544	28965	28435	27078	26057	28248	26492	26404
कुल योग	36812	34287	39400	43197	43674	42951	42763	46904	45444	47854

परिशिष्ट- "घ"

वर्ष 2007-2008 से 2017-2018 की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण के लिए अनुरोधों की संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल नहीं करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1)	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	35218	22146	1066	479	3173	12088	7966	21722
2008-09	36812	30595	888	1075	2541	13520	6158	24664
2009-10	34287	28653	2720	5171	1725	4443	6781	30553
2010-11	39400	31493	185	5186	1273	6236	7301	32293
2011-12	43197	33811	698	3800	699	3682	7545	32444
2012-13	43674	36247	361	4559	716	3410	8308	35612
2013-14	42951	37474	224	6418	634	3592	7464	35168
2014-15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015-16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218
2016-17	45444	38578	4357	10408	1315	8532	7660	41105
2017-18	47854	37208	184	24992	1937	11108	8830	47934

परिशिष्ट- क

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2013-14 से 2017-2018 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

वर्ष	रसायन	औषध	खाद्य	वैद्युतिक	यांत्रिकी	कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स	जैव-प्रौद्योगिकी	सामान्य अभियंत्रणा	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट- क 1 देखें)	कुल
2013-14	6769	2507	387	4371	11318	4410	647	652	11890	42951
2014-15	6454	2640	395	4031	10031	4285	1035	775	13117	42763
2015-16	6463	2966	387	4102	10164	5988	887	757	15190	46904
2016-17	5911	2122	283	4141	10715	6443	876	1225	13728	45444
2017-18	6343	2741	344	4278	11573	6089	992	1032	14462	47854

परिशिष्ट-क 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2017-18 के दौरान दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र	जैव-चिकित्सा	जैव-रसायन	संचार	भौतिकी	सिविल	वस्त्र	धातुकर्म व सामग्री विज्ञान	कृषि अभियंत्रणा	पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी	माइक्रो-बायोलॉजी	एग्रो-केमिकल	पारंपरिक ज्ञान जैवप्रौ./रसायन/यांत्रिकी
	भारतीय / विदेशी											
2017-2018	701/394	161/170	872/4614	992/2004	288/491	216/579	196/517	214/124	166/950	119/178	157/272	82/5

कुल परिशिष्ट क 1:- 14462

परिशिष्ट - च

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2017-2018 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

वर्ष	रसायन	औषध	खाद्य	वैद्युतिक	यांत्रिकी	कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स	जैव- प्रौद्योगिकी	सामान्य अभियंत्रणा	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट- च 1 देखें)	कुल
2013-2014	1111	256	51	237	645	690	220	112	904	**4226**
2014-2015	1533	389	48	376	1047	835	262	145	1343	**5978**
2015-2016	1679	370	32	362	1414	810	181	142	1336	**6326**
2016-2017	**2660**	**551**	**71**	**579**	**1939**	**1049**	**327**	**228**	**2443**	**9847**
2017-2018	**3318**	**733**	**106**	**818**	**2514**	**1028**	**505**	**297**	**3726**	**13045**

परिशिष्ट - च 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2017-2018 के दौरान अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र	जैव-चिकित्सा	जैव-रसायन	संचार	भौतिकी	सिविल	वस्त्र	धातुकर्म/ सामग्री विज्ञान	कृषि अभियंत्रणा	पॉलीमर विज्ञान/ प्रौद्योगिकी	एग्रो-केमिकल	माइक्रो-बायोलॉजी	पारंपरिक ज्ञान जैवप्रौ./रसायन
	भारतीय / विदेशी											
2017-18	**20/130**	**24/118**	**44/987**	**52/516**	**23/101**	**19/160**	**69/360**	**7/17**	**58/689**	**11/114**	**18/90**	**41/58**

कुल परिशिष्ट च 1:- 3726

परिशिष्ट - "छ"

अधिनियम व नियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के संदर्भ में वर्ष 2017-2018 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र.सं.	एकत्रित शुल्क का संदर्भ	प्राप्त कुल राशि (रु.)
1	अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए नया आवेदन	1,599,579,360
2	अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण - फॉर्म 2	21,832,840
3	धारा 53(2) व 142(4) नियम 13(6), 80(1क) व 130 के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध - फॉर्म 4	6,637,670
4	नियम 24 ख के उपनियम (5) के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध - फॉर्म 4	39,054,090
5	उत्तर दिनांकन के लिए आवेदन	1,209,600
6	आवेदक का प्रतिस्थापन/ परिवर्तन - फॉर्म 6	14,097,680
7	उत्तरजीवी / अन्य पक्ष के नाम पर कार्यवाही करने का अनुरोध	117,600
8	विरोध की सूचना - फॉर्म 7	129,600
9	सुनवाई मे उपस्थिति हेतु सूचना - कोई फॉर्म नहीं	116,300
10	किसी पेटेंट मे आविष्कारक के रूप मे उल्लेख - फॉर्म 8	1,342,480
11	शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध - फॉर्म 9	20,666,350
12	तीसरे वर्ष से बीसवें वर्ष तक पेटेंट का नवीकरण	1,940,083,950
13	अनुदान पूर्व आवेदन का संशोधन - फॉर्म 13	26,972,560
14	अनुदानोत्तर आवेदन का संशोधन - फॉर्म 13	308,950
15	नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवार्थ पते मे संशोधन - फॉर्म 13	19,910,360
16	पेटेंट का प्रत्यावर्तन - फॉर्म 15	1,026,300
17	प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त शुल्क	1,396,000
18	पेटेंट परित्याग का प्रस्ताव	11,100
19	पेटेंट रजिस्टर मे प्रविष्टि के लिए - फॉर्म 16	11,077,600
20	पेटेंट रजिस्टर मे प्रविष्टि के बदलाव के लिए	2,667,800
21	अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु	32,400
22	अनिवार्य लाइसेंस हेतु आवेदन - फॉर्म 17	13,200
23	18 महीने के प्रकाशन के उपरांत परीक्षण हेतु अनुरोध - फॉर्म 18	656,787,400

24	त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध - फॉर्म 18	28,072,800
25	पेटेंट अभिकर्ता के रूप मे पंजीकरण - फॉर्म 22	423,500
26	रजिस्टर मे अभिकर्ता नाम जारी रखना - प्रथम वर्ष	130,240
27	रजिस्टर मे अभिकर्ता नाम जारी रखना - द्वितीय वर्ष से	2,062,400
28	पेटेंट अभिकर्ता के लिए अनुलिपि प्रमाण पत्र	2,750
29	रजिस्टर मे अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन - फॉर्म 23	130,300
30	लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	1,046,560
31	नियंत्रक के निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन - फॉर्म 24	437,400
32	भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने हेतु अनुमति - फॉर्म 25	17,089,100
33	अनुलिपि पेटेंट के लिए आवेदन (एल पी)	152,000
34	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रति अथवा धारा 147 व नियम 133(1) के अधीन प्रमाण पत्र	29,291,605
35	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन हेतु	81,200
36	रजिस्टर की जांच हेतु अनुरोध	1,413,050
37	सूचना हेतु अनुरोध	218,940
38	प्रायिकता दस्तावेज़ दाखिल करने मे देरी/ अनियमितता ठीक करने/ देरी ठीक करने हेतु याचिका	184,071,400
39	दस्तावेज़ की छाया प्रति की आपूर्ति	86,010
40	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन हेतु पारेषण शुल्क	7,935,100
41	प्रायिकता दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति तैयार करना	2,921,020
42	फॉर्म 30 - विविध	8,017,709
43	सूचना अधिकार	1,140
44	नियम 24(ग) के उप नियम 11 के अंतर्गत समय के विस्तार हेतु अनुरोध - फॉर्म 4	545,000
45	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण हेतु अनुरोध का त्वरित परीक्षण मे परिवर्तन - फॉर्म 18 क	5,099,000
46	नियम 129 क के अंतर्गत सुनवाई के स्थगन हेतु अनुरोध	10,729,300
47	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रतियाँ अथवा धारा 147 व नियम 133 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र	5,510,380

48	आवेदक के प्रकार मे परिवर्तन से संबन्धित बकाया शुल्क	68,919,63
49	दावे, पृष्ठ, संशोधन के उपरांत सीक्वेंस लिस्टिंग मे वृद्धि से संबन्धित शुल्क	44,885,060
50	कार्यालय की कार्यवाही पर जवाब - विविध	4,090,139
51	विरोधी का लिखित कथन एवं साक्ष्य/हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 मे देय शुल्क)	1,600
52	पेटेंटी का लिखित कथन एवं साक्ष्य/हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 मे देय शुल्क)	52,000
53	Vवीं अनुसूची	99,000
54	गैर-राजस्व (वेतन गैर-योजना)	94,741
55	गैर-राजस्व (वेतन योजना)	2,810
56	गैर-राजस्व (कार्यालय व्यय गैर-योजना)	85,343
57	गैर-राजस्व	20,198,369
58	अन्य प्राप्तियाँ	5,000
59	आईबी से प्राप्त आईएसए शुल्क	3,992,465.65
60	वायपो, भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी खाता बंद होने पर प्रेषित धन) पीसीटी का शुल्क	19,722,470
	कुल	**4,770,660,055**

अध्याय -IV

डिजाइन

1. परिचयः

भारत मे औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षा डिजाइन अधिनियम 2000 और तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 के अधीन कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा प्रशासित होता है, जो 11 मई, 2001 को 1911 के अपने पूर्ववर्ती अधिनियम को निरस्त कर प्रभावी हुआ। डिजाइन नियम 2001, डिजाइन (संशोधन) नियम 2008 व उसके बाद डिजाइन (संशोधन) नियम 2014 द्वारा संशोधित किया गया। डिजाइन नियम का अंतिम संशोधन 30 दिसंबर 2014 से प्रभावी हुआ, जिसमे प्रकृत व्यक्ति व प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य के साथ लघु अस्तित्व की नई श्रेणी को शामिल किया गया।

औद्योगिक डिजाइन पृष्ठ के ढंग तथा साज-सज्जा तथा पंक्तियों एवं रंग के संयोजन के साथ-साथ नये आकार व संरचनाओं के वैशिष्ठ्य का सृजन तथा दृष्टिगत अनुरोध के संवर्द्धन हेतु वस्तुओं में प्रयुक्त अलंकरण को प्रमाणित करता है।

डिजाइन पंजीकरण के आवेदनों को डिजाइन नियम, 2001 की तृतीय अनुसूची के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है। यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है जिसे लोकार्नो वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि सीजीपीडीटीएम/डीआईपीपीपी और ईयूआईपीओ के बीच आईपीसी-ईयूआई (ईयू-भारत बौद्धिक सम्पदा समन्वय) के नाम से द्विपक्षीय सहयोग को प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया तथा परियोजना के ढांचे के भीतर सीजीपीडीटीएम डिज़ाइन डेटाबेस अब ईयूआईपीओ के डिज़ाइन व्यू डेटाबेस के साथ एकीकृत है।

2. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदन

वर्ष 2017-18 के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु 11838 आवेदन दाखिल किए गए, जबकि

10012 आवेदन पंजीकृत किए गए। डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गयी है (परिशिष्ठ ख मे ही):

2.1 भारतीय एवं विदेशी नागरिकों द्वारा दाखिल आवेदन:

भारत में उद्गमित आवेदनों की संख्या 8224 थी जबकि 3614 आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों मे से भारत से उद्गमित आवेदन लगभग 70% थे। भारतीय और विदेशी उद्गम के आवेदन की प्रवृत्ति निम्नवत है (परिशिष्ठ ग):

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में, इस वर्ष भी 1852 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। दिल्ली 1486 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 1287 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। (20) शीर्ष दाखिल

करने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट घ में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन - राज्यानुसार

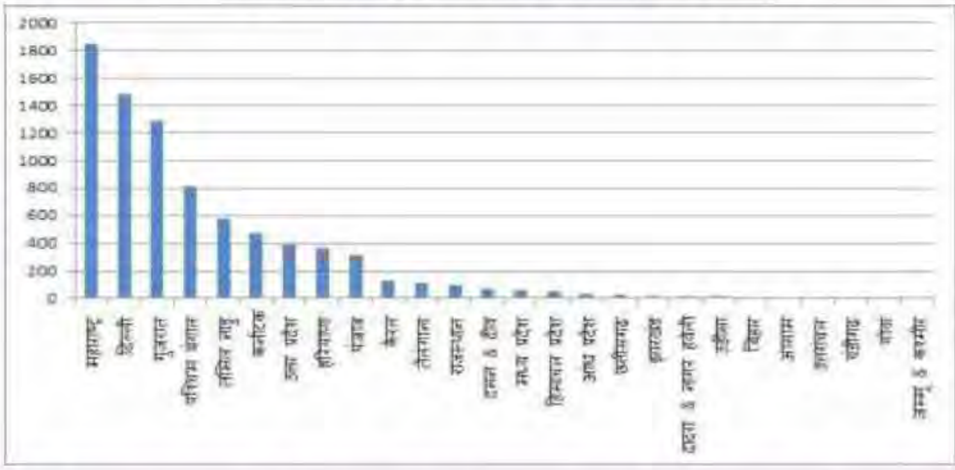

विदेशों से उद्गमित आवेदनों के संदर्भ में यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (1021) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः कोरिया गणतंत्र (434), जापान (433), यू.के. (292), जर्मनी (245), चीन (237), नीदरलैंड (173), फ्रांस (114), स्विट्जरलैंड (109) तथा इटली (101) का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत भारत एवं अन्य कन्वेंशन देशों के बीच पारस्परिक व्यवस्था के तहत 3143 आवेदनों ने प्रायिकता दावे दाखिल किए। विदेशों से उद्गमित 3614 आवेदनों मे से (20) शीर्ष दाखिल करने वाले विदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। देश के अनुसार विवरण परिशिष्ट ङ में प्रदर्शित किया गया है।

विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

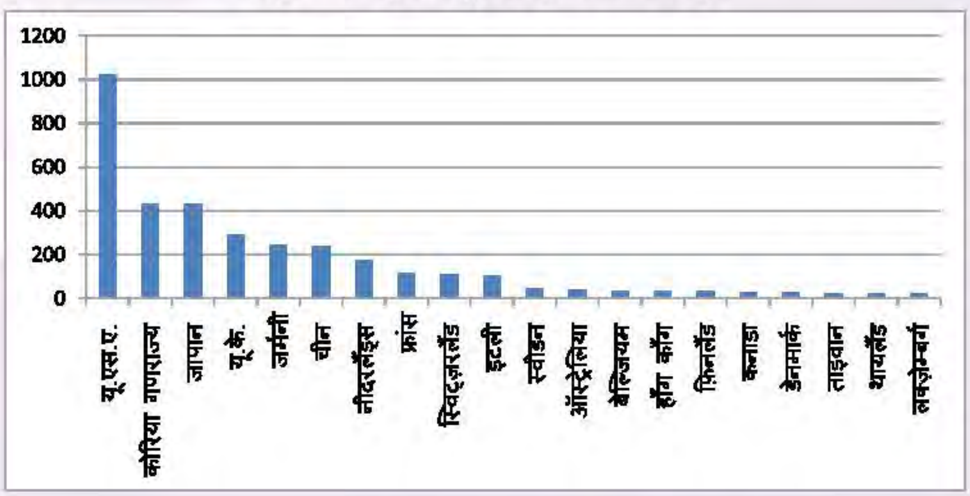

अग्रणी विदेशी कम्पनियाँ जिन्होने डिजाइन आवेदन दाखिल किए वे थीं - सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि.(191), एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंक. (132), कोनिंकलिके फिलिप्स एन.वी. (120), एथीकोन एलएलसी (82), डायसन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (75), एसएमसी कोरपोरेशन (70), द जिलेट कंपनी एलएलसी (56), गूगल एलएलसी (53), हौंडा मोटर कम्पनी लिमिटेड (50) तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कोरपोरेशन (41) आदि।

इसी प्रकार अग्रणी भारतीय आवेदक रहे - साब्यसाची कोट्यूर (555), सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र. लि.(412), रिलेक्सो फुटवेयर लिमिटेड (189), मिस्टर सिद्धार्थ बिन्द्रा (89), नेक्टर बायोफ़ार्मा प्राइवेट लिमिटेड (85), गोदरेज & बोयेस मैनुफेक्चुरिंग कंपनी लिमिटेड (83), महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (79), रोहित बाल डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड (79), मा डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (78) तथा हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड (70) इत्यादि।

2.2 वर्गीकरण के अनुसार दाखिल डिजाइन आवेदन :

भारत से उद्गमित आवेदनों में से, 1047 आवेदन वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत दाखिल किए गए जिसके बाद वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 796, वर्ग 09 (यातायात के लिए पैकेज या कंटेनर अथवा सामान के रखरखाव) के अंतर्गत 791, वर्ग 05 (वस्त्र अंश वस्तुएं, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ) के अंतर्गत 673, वर्ग 07 (घरेलू सामान) के अंतर्गत 629 इत्यादि आवेदन थे। दूसरी तरफ विदेशों से उद्गमित आवेदन वर्गानुसार यह प्रवृत्ति दर्शाते हैं - वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 652, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 350, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 306, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 271, वर्ग 09 (यातायात के लिए पैकेज या कंटेनर अथवा समान का रखरखाव) के अंतर्गत 252। भारत और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

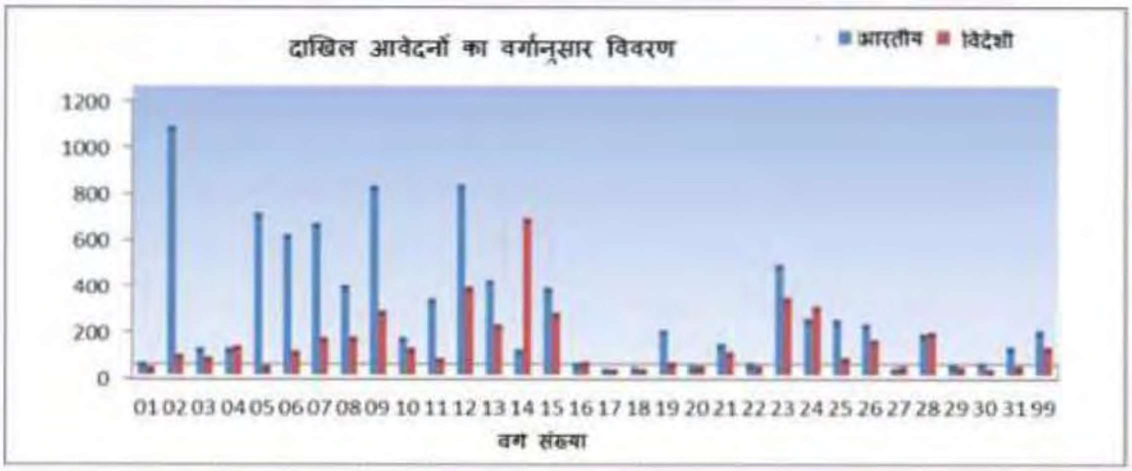

कुल पंजीकृत 10012 डिजाइन मे से, भारत से उद्‌गमित पंजीकरणों की संख्या 6432 रही जबकि विदेशों से उद्‌गमित पंजीकरणों की संख्या 3580 रही। भारत व विदेशों से उद्‌गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में, इस वर्ष भी 1542 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। गुजरात 1138 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि दिल्ली 1056 आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दाखिल करने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट घ में प्रदर्शित किया गया है।

पंजीकृत डिजाइन - राज्यानुसार

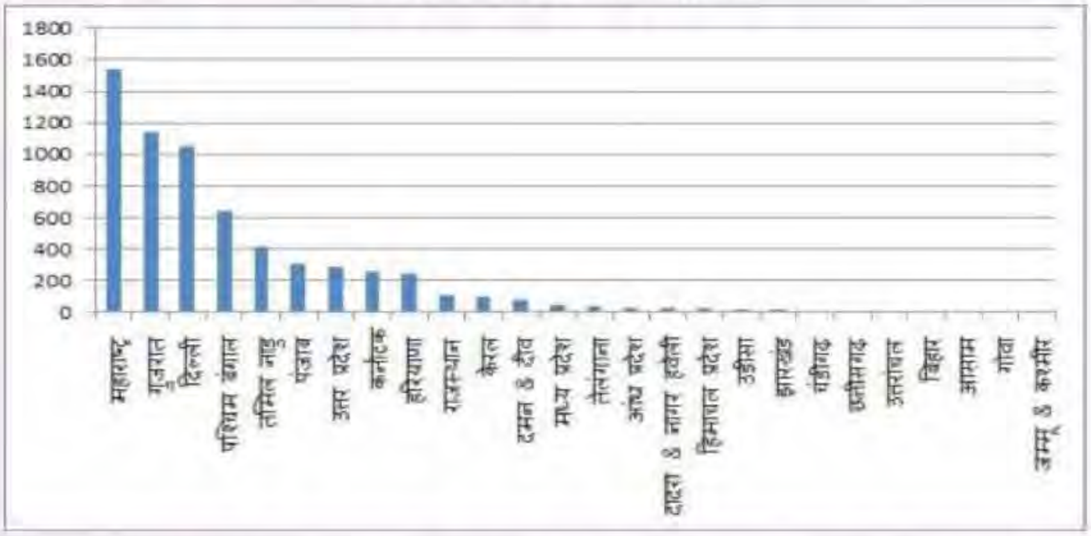

विदेशों से उद्‌गमित पंजीकृत आवेदनों के क्षेत्र में यू.एस.ए. पंजीकरणों की अधिकतम संख्या (779) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमश: जापान (460), जर्मनी (389), कोरिया गणतंत्र (338), यू.के. (219), फ्रांस (199), स्वीडन (171), स्विट्जरलैंड (160), चीन (158), नीदरलैंड (156) तथा इटली (107) का स्थान रहा। विदेशों से उद्‌गमित कुल 3580 पंजीकरणों मे से पंजीकृत डिजाइन वाले (20) शीर्ष देशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है। देश के अनुसार विवरण परिशिष्ट ङ में प्रदर्शित किया गया है।

पंजीकृत डिजाइन - देशानुसार

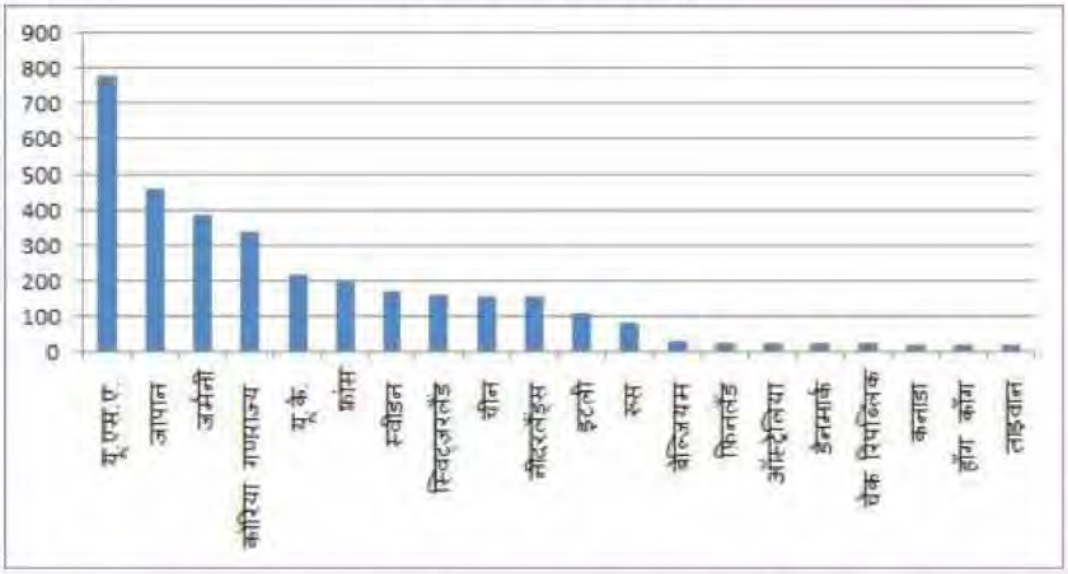

अग्रणी विदेशी कम्पनियाँ जिन्होने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थीं - सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि.(152), स्कैनिया सीवी एबी (124), कोनिंकलिके फिलिप्स एन.वी. (106), एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंक. (95) तथा मैन ट्रक एंड बस एजी (60) आदि।

और, अग्रणी भारतीय कम्पनियाँ जिन्होने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थीं - साब्यसाची कोट्यूर (392), सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र. लि.(375), रिलेक्सो फुटवेयर लिमिटेड (134), मिस्टर सिद्धार्थ बिन्द्रा (89), गोदरेज & बोयेस मैनुफेक्चुरिंग कंपनी लिमिटेड (87), मा डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (80), हेमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड (67), मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड (58), हेवल्स इंडिया लिमिटेड (52) तथा ट्यूब इनवेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (50) इत्यादि।

2.3 वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिज़ाइन आवेदन:

इसी प्रकार, भारतीय उद्गम के पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण मे वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत 730, वर्ग 09 (यातायात के लिए पैकेज या कंटेनर अथवा सामान के रखरखाव) के अंतर्गत 707, वर्ग 05 (वस्त्र अंश वस्तुएं, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ) के अंतर्गत 612, वर्ग 06 (फर्निशिंग) के अंतर्गत 529 तथा वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 521 हैं। जबकि, विदेशी उद्गम के संदर्भ मे पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण मे वर्ग

12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 606, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 378, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 340, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 277 तथा वर्ग 09 (यातायात के लिए पैकेज या कंटेनर अथवा सामान के रखरखाव) के अंतर्गत 247 इत्यादि हैं। भारतीय उद्‌गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों के पंजीकरण का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया है -

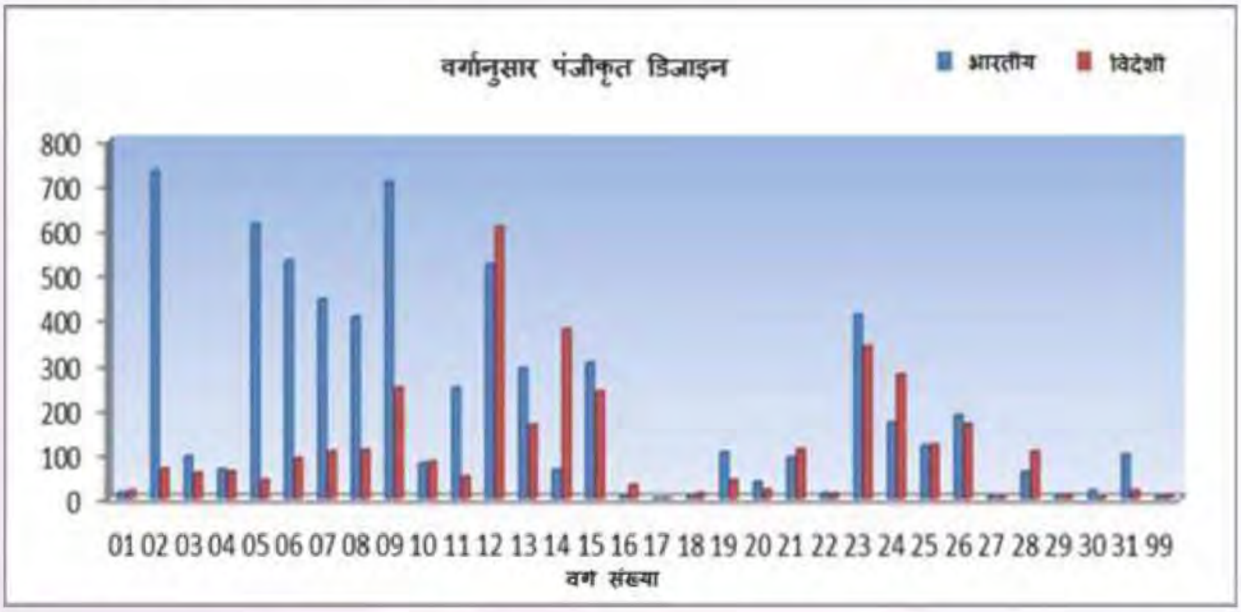

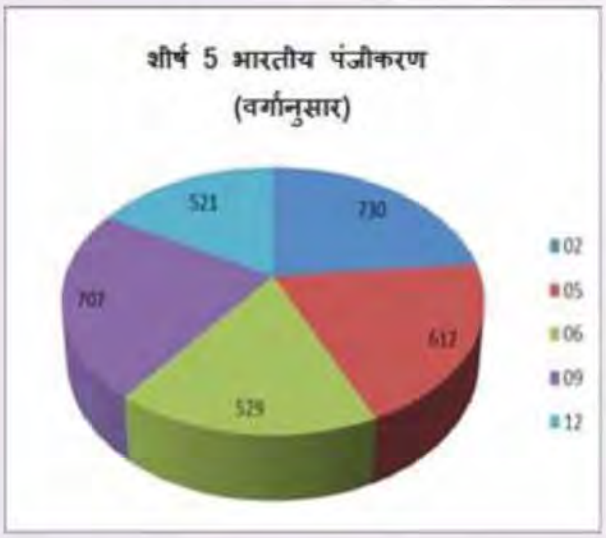

3. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन के पंजीकरण हेतु 11353 आवेदनों का परीक्षण किया गया जिसमें से 9123 आवेदनों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की

संख्या 10012 रही। पंजीकरण के अलावा, 114 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 662 आवेदन परित्यक्त किए गए।

4. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार [धारा 11(2) के तहत]:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए 1,624 आवेदन प्राप्त किए गए। 801 पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। हालाँकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए 64 आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से 38 आवेदनों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

5. विविध कार्यवाहियाँ

पंजीकृत डिजाइन का निरस्तीकरण [धारा 19 के तहत]: वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए 64 आवेदन दाखिल हुए। 18 निर्णय जारी किए गए जिनमें से 10 मामलों पर याचिका अनुमत की गई और 8 मामलों में याचिका खारिज कर दी गई।

जनता द्वारा निरीक्षण [नियम 38 के तहत]: पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु 66 याचिका प्राप्त की गई।

नाम और पते आदि में परिवर्तन [नियम 31 के तहत]: वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु 1316 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 601 मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन [नियम 29 के तहत]:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु 27 अनुरोध प्राप्त हुए और सभी का निपटान वर्ष के दौरान ही कर दिया गया।

नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियां:

वर्ष के दौरान, 777 अनुरोध दाखिल किए गए व वर्ष के दौरान 739 का निपटान कर दिया गया।

6. राजस्व

वर्ष के दौरान, सभी पेटेंट कार्यालयों (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई) मे डिजाइन मे डिजाइन अधिनियम 2000 और नियमों के तहत डिजाइन आवेदनों व अन्य कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

पेटेंट कार्यालय	राजस्व (रु. मे)
कोलकाता	49530978
दिल्ली	7398900
मुंबई	3296400
चेन्नई	1399300
कुल	6,16,25,578

वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न प्रावधानों के तहत अर्जित कुल राजस्व रु. 6,16, 25, 578 था जो परिशिष्ठ - क मे दर्शाया गया है तथा अर्जित राजस्व की प्रवृत्ति नीचे दी गयी है।

2017-18 के दौरान अर्जित राजस्व

7. प्रवृत्त डिजाइन:

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या 84905 रही।

परिशिष्ट- क

2017-18 के दौरान डिजाइन द्वारा अर्जित राजस्व			
प्रलेखों का विवरण	**संख्या**	**शुल्क (रु.)**	**राशि (रु.)**
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	11838	1000, 2000, 4000	3,70,10,000
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्याधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	1624	2000, 4000, 8000	1,26,26,000
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	64	1000, 2000, 4000	3,11,000
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	61	1500 3000, 6000	3,22,500
धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	545	500, 1000, 2000	10,82006
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क; दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		प्रथम अनुसूची के अनुसार	1,02,74072
कुल योग			**6,16,25,578**

परिशिष्ट- ख

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल	पंजीकृत
2012-13	8337	7252
2013-14	8533	7178
2014-15	9327	7147
2015-16	11108	7904
2016-2017	10213	8276
2017-2018	**11838**	**10012**

परिशिष्ट- ग

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की उद्गम के अनुसार प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल		पंजीकृत	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
2012-13	5428	2909	4662	2590
2013-14	5530	3003	4330	2848
2014-15	6505	2822	4726	2421
2015-16	7895	3213	5532	2372
2016-2017	6292	3921	5532	2372
2017-2018	8224	3614	6432	3580

2017-18 के दौरान दाखिल व पंजीकृत डिजाइन आवेदन - राज्यानुसार

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या	पंजीकरण
आंध्र प्रदेश	37	30
आसाम	6	4
बिहार	9	6
चंडीगढ़	4	11
छत्तीसगढ़	26	10
दादरा & नागर हवेली	19	30
दमन & दीव	68	76
दिल्ली	1486	1056
गोवा	4	4
गुजरात	1287	1138
हरियाणा	363	244
हिमाचल प्रदेश	53	26
जम्मू & कश्मीर	3	3
झारखंड	20	17
कर्नाटक	472	262
केरल	130	94
मध्य प्रदेश	61	52
महाराष्ट्र	1852	1542
मणिपुर	3	0
उड़ीसा	19	20
पांडेचरी	0	1
पंजाब	311	309
राजस्थान	96	105
तमिल नाडु	576	416
तेलंगाना	111	41
उत्तर प्रदेश	389	283
उत्तरांचल	5	7
पश्चिम बंगाल	814	645
योग	8224	6432

2017-18 के दौरान दाखिल एवं पंजीकृत विदेशी डिजाइन आवेदन - देशवार

देश	आवेदनों की संख्या	पंजीकरण
अफ़घानिस्तान	1	3
ऑस्ट्रेलिया	38	24
ऑस्ट्रीया	11	11
बेल्जियम	35	32
बेलारूस	0	5
बरमूडा	2	2
ब्राज़ील	4	2
ब्रिटिश आइल्स	3	0
ब्रिटिश वर्जीनिया	4	1
बुल्गारिया	1	0
कनाडा	29	19
केमन आइलैंड	1	0
चीन	237	158
साइप्रस	0	7
चेक रिपब्लिक	1	22
डेनमार्क	26	24
फ़िनलैंड	32	25
इस्टोनिया	0	3
यूरोपियन यूनियन	0	5
फ्रांस	114	199
जर्मनी	245	389
ग्रीस	2	3
हाँग काँग	33	17
हंगेरी	1	0
आयरलैंड	2	1
इस्राइल	15	15
इटली	101	107
जमैका	0	1
जापान	433	460
क्यर्ग्यज रिपब्लिक	1	1

लेबनॉन	1	0
लिश्टेंस्टाइन	4	4
लिथुआनिया	2	0
लक्ज़ेम्बर्ग	21	16
मलेशिया	3	5
मेक्सिको	3	3
नेपाल	0	1
नीदरलैंड्स	173	156
न्यूज़ीलैंड	11	11
नॉर्वे	6	2
ओएचआईएम	0	1
पोलैंड	4	6
पुर्तगाल	5	3
कोरिया गणराज्य	434	338
रोमानिया	0	1
रूस	1	81
स्कॉटलैंड	0	1
सिंगापुर	12	8
स्लोवाकिया	6	4
स्लोविनिया	2	11
दक्षिण अफ्रीका	6	3
स्पेन	7	10
श्री लंका	2	1
स्वीडन	43	171
स्विट्ज़रलैंड	109	160
ताइवान	23	17
थायलैंड	22	13
तुर्की	8	1
यू.ए.ई.	17	8
यू.के.	292	219
यू.एस.ए.	1021	779
यूक्रेन	1	0
वेनेज़ुएला	0	2
वियतनाम	3	8
कुल	3614	3580

व्यापार चिह्न

यह अध्याय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित गतिविधियों से संबंधित 59वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम लागू होने का उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार चिह्न का पंजीकरण व उसको संरक्षण प्रदान करना है, देश मे वाणिज्य वस्तु पर नकली व्यापार चिह्न के उपयोग को रोकना है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण पंजीकृत स्वत्वधारी को कतिपय सांविधिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के अतिलंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाता है, चाहे वह व्यापार चिह्न प्रयोग में हो या नहीं। यह उन सामान्य कानून अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई मे है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद मे स्थित है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002, 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हुए। व्यापार चिह्न नियम 2002 को पूर्णतयाः संशोधित कर दिया गया और इसे व्यापार चिह्न नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो 6 मार्च 2017 से प्रभावी हुए।

देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विषय में सामान्य रूप से तथा व्यापार चिह्न के संबंध में विशेष रूप से बढ़ती जागरुकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की गतिविधि तथा उत्तरदायित्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। व्यापार चिह्न अधिनियम,1999 के अधीन और व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल से भारत के संबद्ध होने के बाद सेवा चिह्न, सुविख्यात चिह्न, सामूहिक चिह्न की संरक्षा तथा बहुवर्ग मल्टी क्लास आवेदनों हेतु प्रावधान इत्यादि को शामिल किए जाने से इस भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है।

1. वर्ष 2017-2018 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2017-2018 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विविध गतिविधियों संबंधी जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि इस वर्ष में दाखिल आवेदनों की संख्या **278170** से घट कर **272974** हो गयी तथापि व्यापार चिह्न के पंजीकरण मे 20.33% की वृद्धि देखी गयी है। दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध मे गतिविधियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

क्रम संख्या	गतिविधियाँ	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन	283060	278170	272974
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	117408	333673	423030
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या	65045	250070	300913
4	पंजीकरण के अतिरिक्त अन्यथा रूप में (अस्वीकृति, परित्याग और आहरण द्वारा) निष्पादित उत्तर-परीक्षण आवेदनों की संख्या	51122	40374	254864
5	पंजीकरण का नवीकरण किए जानेवाले चिह्नों की संख्या	58160	56270	64661
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	11075	13094	73764
7.	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,1983 की धारा 45(1) के तहत जारी प्रमाण पत्र	8185	9169	1605

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति;

2017-18 के दौरान, भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों की प्रवृत्ति में आंशिक कमी देखी गई है। 2017-18 मे भारतीयों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 2016-17 के 266730 से घट कर 247734 हो गयी है तथा विदेशियों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 2016-17 के 11440 से बढ़ कर 2017-18 मे 25307 हो गयी।

i. 2013-14 से 2017-18 के दौरान दाखिल आवेदनों का प्रवृत्ति:

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2013-14	184140	15865	200005
2014-15	202654	7847	210501
2015-16	267390	15670	283060
2016-17	266730	11440	278170
2017-18	247734	25307	272974

ii. भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन - राज्यानुसार:

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में, 63070 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली 51563 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 24208 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा।

iii. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

कुल 272974 आवेदनों में से वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 25307 रही।

संयुक्त राज्य अमरीका	3779
चीन	1794
यूनाइटिड किंग्डम	613
जापान	608
संयुक्त अरब अमीरात	368
जर्मनी	345
सिंगापुर	341
हाँग काँग	337
कोरिया गणराज्य	313
ताइवान, प्रोविन्स ऑफ चाइना	278
स्विट्ज़रलैंड	273
कनाडा	255
ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड	232

इटली	201
केमन आईलैंड	188
फ्रांस	171
थायलैंड	136
ऑस्ट्रेलिया	134
नीदरलैंड्स	129
मलेशिया	108
मेड्रिड प्रणाली के माध्यम से	13475

iv. वर्गानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृति:

वर्ष 2017-18 के दौरान दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति निम्न प्रदत्त सारणी में दर्शायी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबसे ज्यादा आवेदन वर्ग 5 के अंतर्गत की वस्तुओं (औषधी, पशु चिकित्सीय तथा आरोग्यकारक पदार्थों आदि) के लिए प्राप्त हुए है।

व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों के वर्गानुसार वितरण का विवरण

वर्ग	वस्तु एवं सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	किसी विशेष वर्ग के संबंध में दाखिल किए गए आवेदनों का %
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	4022	1.48
2	पेंट और वार्निश	1457	0.54
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	10485	3.86
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयॉं (खाद्य तेल के अलावा) आदि	1506	0.55
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	37885	13.93
6	अन-रॉट और अंशत: रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	3606	1.33
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	5696	2.10
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1197	0.44
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	16454	6.05
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	2402	0.88

11	प्रकाशन साधित्र, तापक वाष्पजनक आदि	7195	2.65
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	3138	1.15
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	197	0.07
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	3444	1.27
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	250	0.09
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	6136	2.26
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	2419	0.89
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े आदि	3337	1.23
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	4962	1.83
20	फर्नीचर, आईने आदि	3372	1.24
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	3615	1.33
22	रस्सी, सुतली आदि	564	0.21
23	सूत और धागे	448	0.16
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	3172	1.17
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	20034	7.37
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	834	0.31
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	605	0.22
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	2287	0.84
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	7803	2.87
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	14968	5.51
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में अंतर्गत नहीं है	4369	1.61
32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	4752	1.75
33	वाइन स्प्रिट और मद्य पेय	1204	0.44
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	1976	0.73
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	26467	9.73
36	बीमा वितीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	4593	1.69
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	3909	1.44
38	दूरसंचार	3367	1.24
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	3503	1.29
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1230	0.45

41	शिक्षा, प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	16002	5.89
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	9011	3.31
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	9640	3.55
44	चिकित्सा सेवाएं ; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	5393	1.98
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	2976	1.09

टिप्पणी: बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, इस तरह के बहुवर्ग आवेदनों को ऐसे आवेदनों मे गिने जाने वाले सभी वर्गों मे गिना गया है।

v. शाखानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष 2017-18 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा में अधिकतम संख्या **(97151)** में आवेदन दाखिल किए गए जिसके बाद क्रमश: मुंबई **(77263)** (इनमे मेड्रिड प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त 13475 आवेदन शामिल हैं), चेन्नई **(51299)**, अहमदाबाद **(31664)** एवं कोलकाता **(15597)** का स्थान आता है।

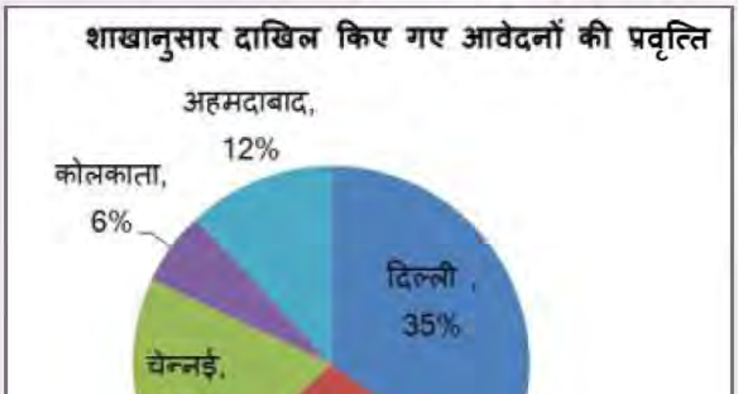

2. व्यापार चिह्न का पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियाँ;

वर्ष 2017-18 के दौरान, पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 300913 रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान 250070 चिह्न पंजीकृत किए गए थे। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या 1402434 थी। वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- 64661 पंजीकृत व्यापार चिह्नों का नवीकरण किया गया
- पंजीकृत व्यापार चिह्न (अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संदर्भ में पंजीकरण के उपरांत परिवर्तन करने हेतु 73764 अनुरोध निष्पादित कर दिए गए।
- कानूनी कार्यवाहियों में उपयोग के लिए अथवा विदेशों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु 2645 प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के तहत 1605 प्रमाण पत्र प्रतिलिप्यधिकार के रूप में कलात्मक कार्य के पंजीकरण हेतु जारी किए गए।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए विगत वर्ष के 333673 विज्ञापनों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 423030 आवेदन व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित किए। पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने अधिनियम और नियम के अधीन विधिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यत: विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2016-17 के दौरान विरोध की सूचना और रजिस्टर के परिशोधन हेतु 43450 आवेदन दाखिल किए गए और ऐसे 41535 मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। ऐसे दाखिल और निष्पादित मामलों के विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

3. पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण :

निम्न प्रदत्त सारणी वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह देखा गया है कि वर्ग-5 के अंतर्गत 30654 व्यापार चिह्न पंजीकृत थे जो कुल पंजीकरण का 12.26% है, जिसके बाद वर्ग-35 आता है जो 9.02% है। हालाँकि, विविध वर्गों में 10494 व्यापार चिह्न पंजीकृत हुए थे जो कुल पंजीकृत चिह्न का लगभग 4.2% है।

पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण

वर्ग	वस्तु एवं सेवाओं का विवरण	पंजीकृत आवेदनों की संख्या	किसी विशेष वर्ग के संबंध में पंजीकृत किए गए आवेदनों का %
1	उद्‌योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्‌यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	5638	1.75
2	पेंट और वार्निश	1981	0.61
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	10691	3.32
4	औद्‌योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्‌य तेल के अलावा) आदि	1919	0.60
5	भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	43371	13.46
6	अन-रॉट और अंशत: रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	4428	1.37
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	6827	2.12
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1856	0.58
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्‌युत उपकरण आदि	19028	5.91
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	3635	1.13
11	प्रकाशन साधित्र, तापक आदि	7836	2.43
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	4145	1.29
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	484	0.15
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	4355	1.35
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	545	0.17
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	10292	3.19
17	गट्‌टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	3204	0.99
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े से बनी वस्तुएं आदि	4233	1.31
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	5708	1.77
20	फर्नीचर, आईने आदि	3950	1.23
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	4055	1.26
22	रस्सी, सुतली आदि	1003	0.31
23	सूत और धागे	802	0.25

24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	4580	1.42
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	19001	5.90
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	1309	0.41
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	1036	0.32
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	2902	0.90
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	7134	2.21
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	14075	4.37
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में अंतर्गत नहीं है	5690	1.77
32	बीयर, एले और पोर्ट, खनिज और वातित जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	5063	1.57
33	वाइन, स्प्रिट और मद्य पेय	1936	0.60
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	2073	0.64
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	30697	9.53
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	6713	2.08
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	6235	1.94
38	दूरसंचार	5572	1.73
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	4594	1.43
40	सामग्री का बहिस्त्राव	2085	0.65
41	शिक्षा,प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीड़ा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	18452	5.73
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	13820	4.29
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	9100	2.82
44	चिकित्सा सेवाएं ; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	5965	1.85
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	4173	1.30

टिप्पणी: *बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है व ऐसे आवेदनों के लिए एकल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, इस तरह के बहुवर्ग आवेदनों के पंजीकरण के संबंध मे ऐसे आवेदनों मे गिने जाने वाले सभी वर्गों मे गिना गया है।*

राजस्व व व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु.286.11 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जबकि गत वर्ष के दौरान यह रु. 192.36 करोड़ रहा।

परिशिष्ट I

पिछले 5 वर्षों मे व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
दाखिल	2,00,005	2,10,501	2,83,060	2,78,170	2,72,974
परीक्षित	2,03,086	1,68,026	2,67,861	5,32,230	3,06,259
पंजीकृत	67,796	41,583	65,045	2,50,070	3,00,913

पिछले 5 वर्षों मे व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति की ग्राफीय प्रस्तुति

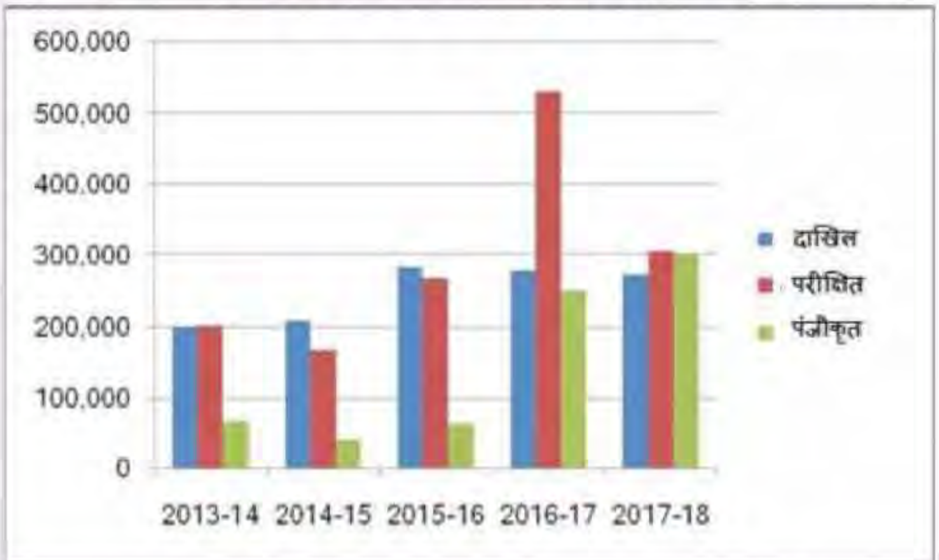

व्यापार चिह्न जर्नल मे व्यापार चिह्न आवेदनों मे वृद्धि हुई है

परिशिष्ट II

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	जर्नल मे प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या
1	2013-14	67,796
2	2014-15	81959
3	2015-16	117408
4	**2016-17**	**333673**
5	**2017-18**	**423030**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या की ग्राफीय प्रस्तुति

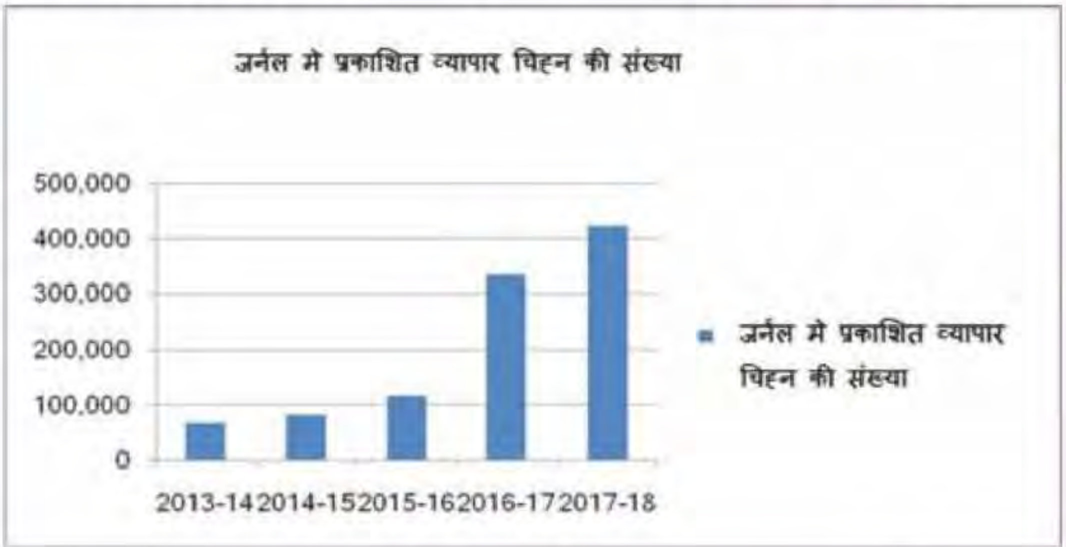

परिशिष्ट III

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

	सुनवाई का स्थान	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
1	अहमदाबाद	6228	6161
2	चेन्नई	7414	7361
3	दिल्ली	17065	16633
4	कोलकाता	2421	2406
5	मुंबई	9591	8970
6	आईआर डिवीज़न	731	4
	कुल	43450	41535

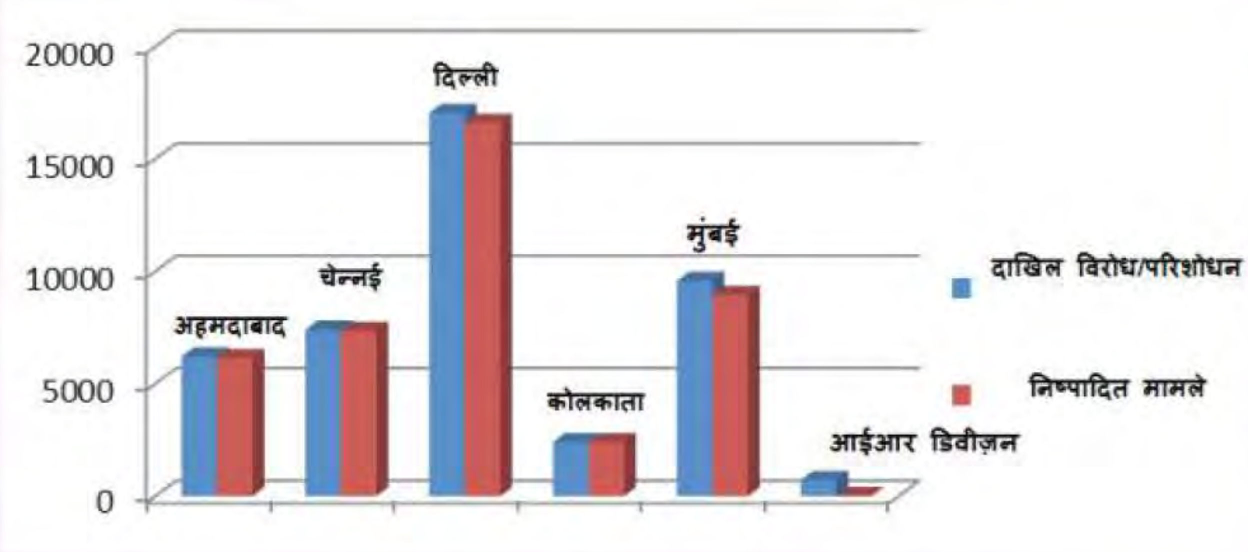

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

क्रम संख्या	वर्ष	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या
1	2013-14	67,796
2	2014-15	41583
3	2015-16	65045
4	**2016-17**	**250070**
5	**2017-18**	**300913**

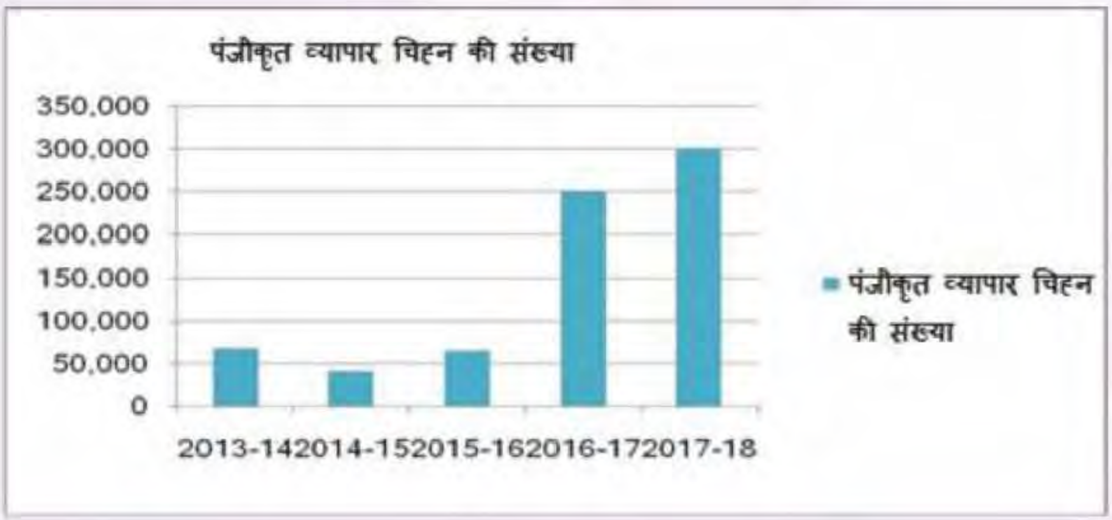

भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण और बेहतर संरक्षा प्रदान करना तथा वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण एवं संरक्षा) अधिनियम,1999 का प्रशासन करना है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

रजिस्ट्री कार्यालय ने 15 सितम्बर, 2003 से पंजीकरण हेतु भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया। रजिस्ट्री कार्यालय ने 31 मार्च, 2018 तक कुल 613 छः सौ तेरहभौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त किए हैं।

रजिस्ट्री कार्यालय ने मई, 2009 से भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन भी प्राप्त करने प्रारंभ किए हैं और 31 मार्च, 2018 तक 4720 (चार हज़ार सात सौ बीस) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

15 सितम्बर, 2003 से अब तक कुल 320 (तीन सौ बीस) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं। कुल 2699 (दो हज़ार छः सौ निन्यानवे) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक कार्यालय ने 38 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन व 823 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं, 25 भौगोलिक उपदर्शन व 1233 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है।

रजिस्ट्री कार्यालय भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। चाय, कॉफी, मसाले, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, दुग्ध उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, स्पिरिट एवं मद्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।

31 मार्च, 2018 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन की स्थिति

दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	613
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	330
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	320

31 मार्च 2018 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का अवस्थानुसार विवरण

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन	320
लंबित भौगोलिक उपदर्शन	261
अन्य निष्पादित भौगोलिक उपदर्शन	32
प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन की कुल संख्या	**613**

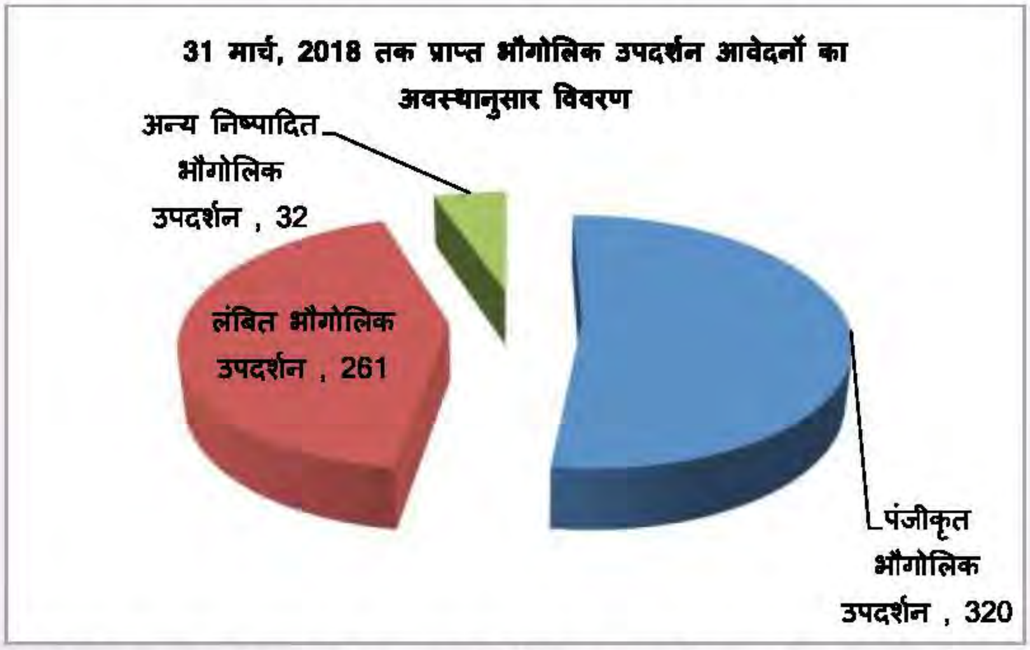

31 मार्च, 2018 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	6
2004-05	29
2005-06	16
2006-07	33
2007-08	37
2008-09	44
2009-10	40
2010-11	27
2011-12	148
2012-13	24
2013-14	75
2014-15	47
2015-16	17
2016-17	32
2017-18	**38**

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	283	198
कृषि	137	89
विनिर्मित	141	19
खाद्य पदार्थ	45	13
प्रकृत	7	1
कुल	613	294

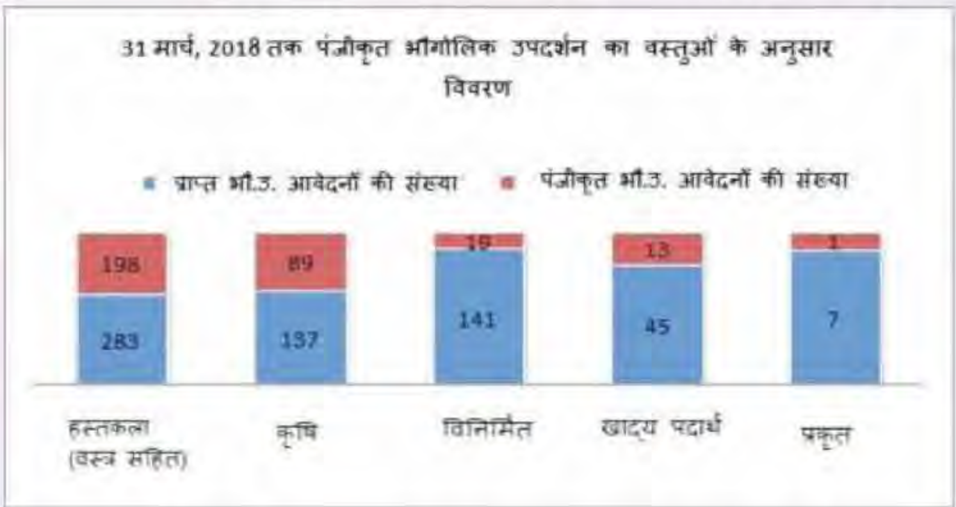

31 मार्च, 2018 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

राज्य	भौ. उ. की संख्या
आंध्र प्रदेश	18
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	6
बिहार	11
छतीसगढ़	5
गोवा	1
गुजरात	13
हिमाचल प्रदेश	6
भारत (बासमती)	1
जम्मू व कश्मीर	7
कर्नाटक	39
केरल	27
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	30
मणिपुर	4
मेघालय	2
मिजोरम	1
नागालैंड	3
उड़ीसा	15
पाण्डिचेरी	2
पंजाब	1
राजस्थान	14
सिक्किम	1
तमिलनाडु	28
तेलंगाना	14
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	25
उत्तराखंड	01
पश्चिम बंगाल	21
विदेश	13

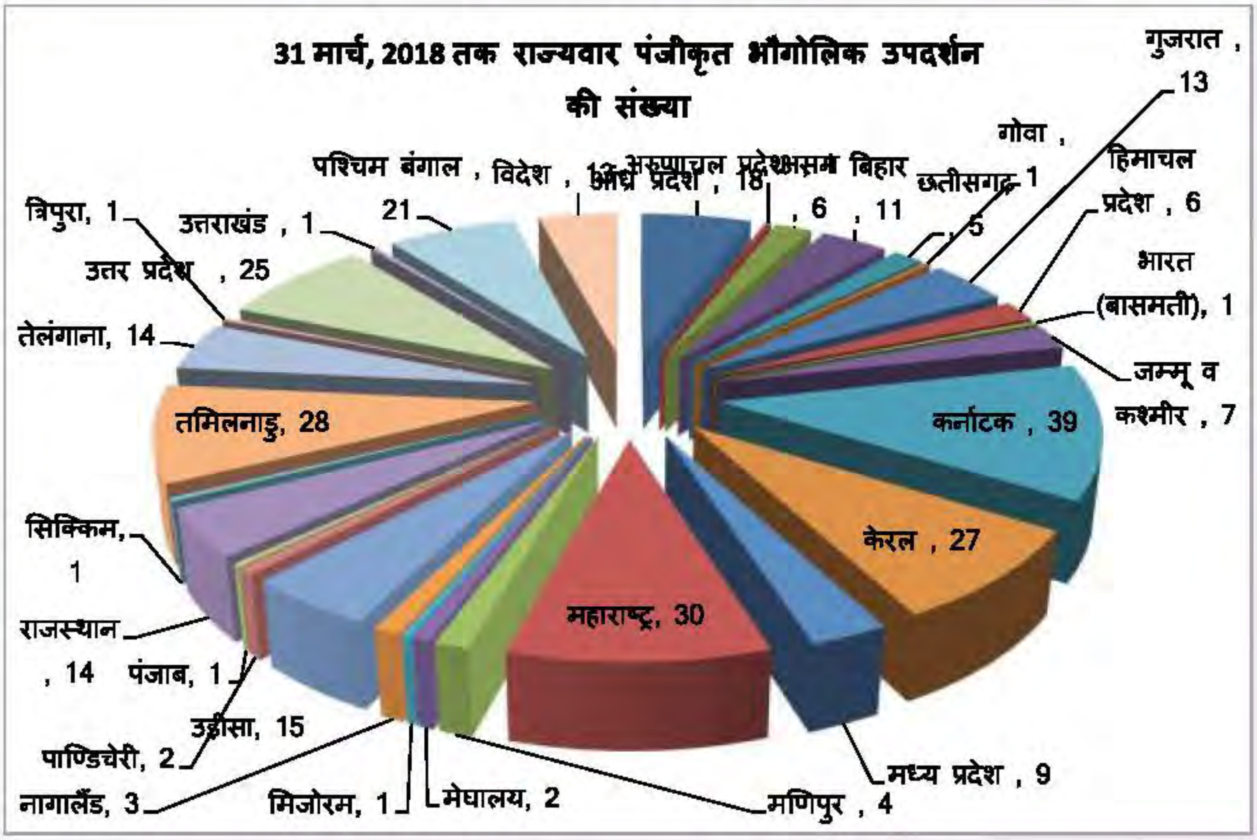

31 मार्च, 2018 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	0
2004-05	0
2005-06	0
2006-07	0
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	101
2010-11	124
2011-12	145
2012-13	1070
2013-14	471
2014-15	262
2015-16	176
2016-17	1548
2017-18	**823**

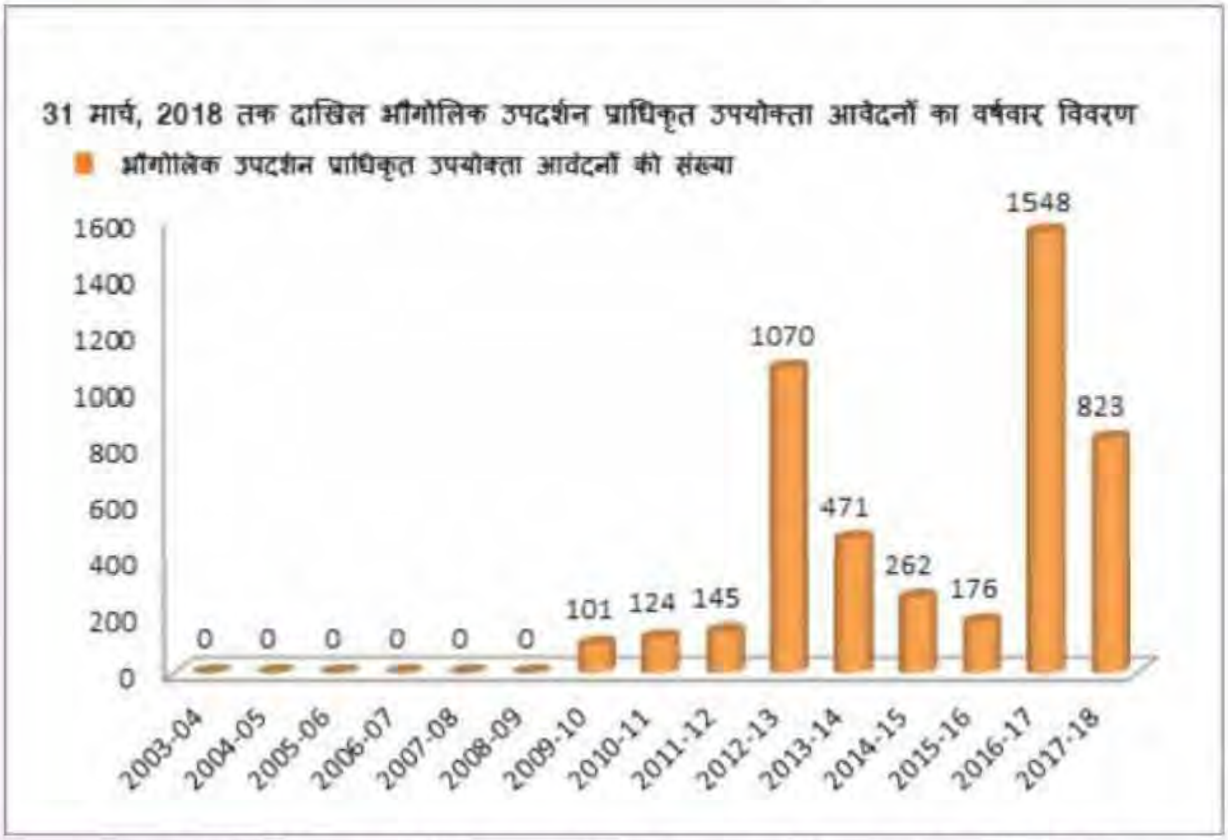

31 मार्च, 2018 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की स्थिति

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या पंजीकृत	2699
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या परीक्षित	1012
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या पूर्व-परीक्षित	602
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या विज्ञापित	406
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या विरोध	1
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	**4720**

31 मार्च, 2018 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	2706	1376
कृषि	1942	1258
विनिर्मित	56	56
खाद्य पदार्थ	15	9
प्रकृत	1	0
कुल	**3897**	**2699**

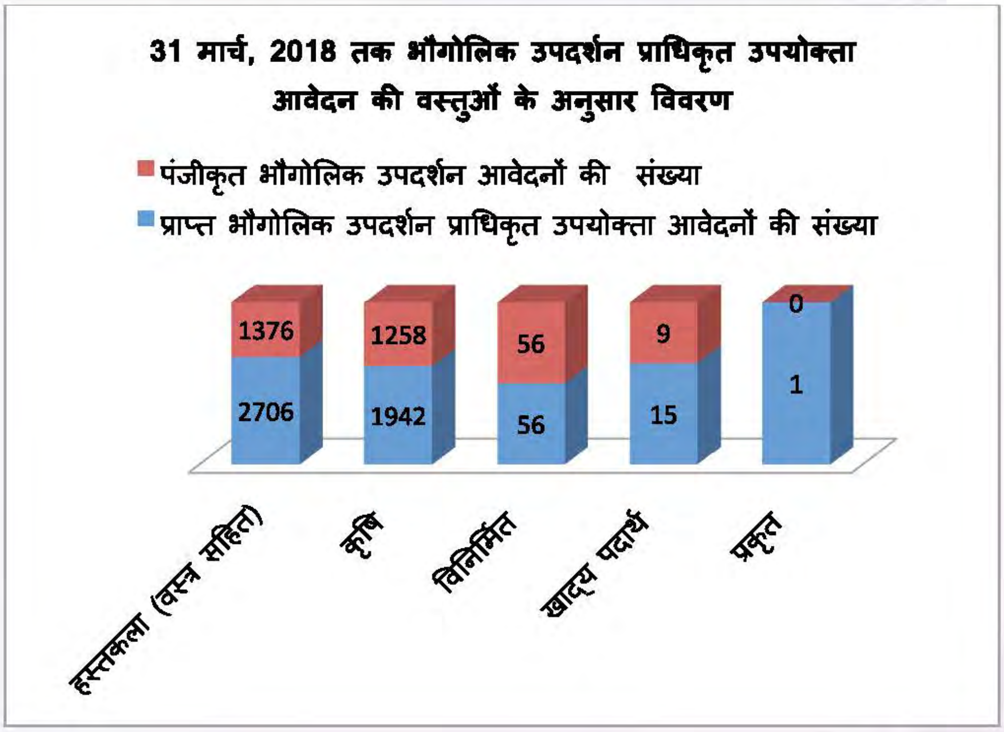
31 मार्च, 2018 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की वस्तुओं के अनुसार विवरण
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
1376
2706
1258
1942
56
56
9
15
0
1
हस्तकला (वस्त्र सहित)
कृषि
विनिर्मित
खाद्य पदार्थ
प्रकृत

अध्याय - VII

कॉपीराइट

परिचय

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कॉपीराइट का प्रशासन किया जाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित करके कानून को प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है। कॉपीराइट किसी कार्य का मालिकाना अधिकार है जिससे वह कार्य के उपयोग को नियंत्रित कर सकता है व उसके उपयोग से आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है। इस तरह के काम साहित्य, कलात्मक, नाटकीय, संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग या सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के रूप में मानव मस्तिष्क का निर्माण हैं।

कॉपीराइट कार्यालय की कार्यप्रणाली:

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 मे की गई थी। पंजीकार के पास कॉपीराइट से संबन्धित मामलों को निपटाने के लिए अर्ध न्यायिक शक्तियाँ हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन पंजीकृत कार्य के बारे मे जानकारी प्रदान की जाती है। पंजीकरण के अलावा, रजिस्टर का निरीक्षण करने, विवरण मे परिवर्तन, उससे सार लेने, कॉपीराइट सोसाइटी का प्रशासन इत्यादि जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय मे उपलब्ध हैं।

जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों से निर्वाह करता है:

(i) मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत व कलात्मक कार्य;

(ii) चलचित्र की फिल्में; और

(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग

कॉपीराइट स्वतः अर्जित होता है और इसके लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्य के सृजित होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज प्रविष्टियाँ कानून की अदालत में कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में *प्रथम दृष्टया* सबूत के रूप में काम करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, कॉपीराइट नियम, 2013 के संबन्धित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण कॉपीराइट की वेबसाइट अर्थात www.http//:copyright.gov.in पर उपलब्ध हैं।

कॉपीराइट का स्वामित्व

कॉपीराइट कानून द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट अधिकार हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं । ऐसे किसी भी कार्य का कार्य के स्वामी की प्राधिकृति/अनुमति के बिना उपयोग कानून का उल्लंघन अथवा कॉपीराइट का अतिलंघन हो सकता है। (कॉपीराइट कानून के तहत कुछ सीमाएं व अपवाद प्रदान किए गए हैं)। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि एक बार इस विशिष्ट अधिकार की अवधि समाप्त होने के उपरांत, आम जनता की कार्य तक सहज पहुँच हो।

कॉपीराइट सोसाइटी

भारत मे पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी निम्नलिखित हैं:

- इंडियन सिंगर्स राइट्स असोशिएशन (आईएसआरए) - गायकों के अदाकारी के अधिकार के लिए
- इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन (आईआरआरओ) - फोटोग्राफी कार्यों के लिए
- इंडियन पर्फ़ॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) - संगीत कार्य व ऐसे संगीत कार्य से जुड़े साहित्यिक कार्यों के लिए।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधि/समझौता

विदेशों में भारतीय कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य बना हआ है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता
- नेत्रहीन, विजुअली इंपेयर्ड अथवा अन्यथा प्रिंट डिसेबल व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुँच सुलभ बनाने हेतु मरक्केश संधि

कॉपीराइट कार्यालय का कार्य परिदृश्य

कॉपीराइट कार्यालय ने बड़ी उपलब्धि के लिए, आवेदनों की लंबितता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा तदनुसार, एक माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को छोड़कर लंबितता को घटाकर एक माह कर दिया गया है। पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदनों को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

इसके अलावा, विसंगति पत्र व कॉपीराइट का रजिस्टर (आर.ओ.सी.) अब www.copyright.gov.in पर पंजीकृत ईमेल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया जा रहा है। आवेदक अपने कॉपीराइट लॉगिन खाते का उपयोग करके विसंगति पत्र के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया भी अपलोड कर सकते हैं।

कॉपीराइट कार्यालय ने साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के परीक्षण के लिए अभ्यास और प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित की है।

2. कॉपीराइट की प्रवृत्ति

2017-18 के दौरान, कुल 17841 आवेदन प्राप्त हुए व 34388 आवेदन परीक्षित किए गए। नए आवेदनों के संबंध मे प्रेक्षित विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2017-18 मे उत्पन्न रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आर.ओ.सी.) की संख्या 19997 रही जो 2016-17 की तुलना मे 5 गुणा वृद्धि दर्शाता है जब केवल 3596 रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आर.ओ.सी.) उत्पन्न किए गए थे।

2017-2018 के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी) उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट	नवीन विसंगति पत्र जारी नवीन विसंगति पत्र जारी	कुल निपटान
			(आरओसी) उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी) उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी)		
2016-17	16617	16584	3596	12988	5444
2017-18	17841	34388*	19997	29309	**39799***

(*) इनमे ऐसे 8642 आवेदन शामिल हैं जिनके लिए कार्य प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष की प्रमुख बातें

- *संगीत कार्य व संगीत के कार्य से जुड़े साहित्यिक कार्यों के संबंध में लाइसेंस देने के व्यवसाय के लिए कॉपीराइट सोसायटी के रूप में इंडियन पर्फ़ॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया।*
- *अनिवार्य एक माह की प्रतीक्षा अवधि को छोड़कर लंबितता लगभग एक माह तक कम हो गई*

अध्याय - VIII

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

1. परिचय:

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब-स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट) किए जाते हैं। अधिनियम व उसके अधीन बने नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के तीन आयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं। एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड हैं, कि वह होना चाहिए:-

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

2. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर)

यह वह कार्यालय है, जहाँ निर्मित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पंजीकरण के लिए एकीकृत परिपथों के लेआउट डिजाइनों पर आवेदन किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम 2001 में निर्धारित

दिशानिर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथों के लेआउट डिजाइनों का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथों के मूल परिपथ डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, लेकिन 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) मे स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक सम्पदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

3. उपलब्धियां:

2017-18 से पूर्व, दो (2) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन पंजीकृत किए गए थे। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 2017-18 में पंजीकरण के लिए दो (2) परिपथ डिजाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, दोनों ही आईआईटी, दिल्ली से हैं और परीक्षण रिपोर्ट आवेदक को प्रेषित कर दी गई है। रजिस्ट्री अपनी वेबसाइट पर साप्ताहिक ई-जर्नल प्रकाशित करती है।

4. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री की जनशक्ति संरचना

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री मे निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है:

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान	पदों के सृजन के आदेश
1.	पंजीकार	एक	पीबी4 + जीपी रु. 8700	आदेश सं.1(6)/ 2012 – पर्स.I दिनांक 27/05/2013
2.	तकनीकी अधिकारी	एक	पीबी2 + जीपी रु.5400	पीओए सं 35481 दिनांक 19/04/2016
3.	निजी सचिव	एक	पीबी2 + जीपी रु.4600	पीओए सं 35481 दिनांक
				19/04/2016

5. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखा

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग मे अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री हेतु एक (1) करोड़ का बजट है।

अध्याय -IX

पेटेंट सहयोग संधि

परिचय

7 सितंबर, 1998 को, भारत ने जिनेवा में वायपो के साथ दो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अधिमिलन प्रपत्र जमा किया। ये दो संधियां नामतः औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन तथा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) 7 दिसम्बर, 1998 से भारत पर बाध्य हैं।

पीसीटी एक ही भाषा में एक ही अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र दाखिल करने का प्रावधान है , जिसका प्रभाव प्रत्येक उस देश पर है जो पीसीटी का सदस्य है और जिसे आवेदक पेटेंट की संरक्षा के लिए अपने आवेदन में निर्दिष्ट करता है । पीसीटी द्वारा प्रस्तावित सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रक्रियाओं को सरल करता है और कई देशों में पेटेंट संरक्षण के लिए लागत कम करता है।

पेटेंट सहयोग संधि को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रशासित किया जाता है जो सदस्य देशों के आवेदकों को दुनिया के 152 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका एक और लाभ यह है कि यह प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करता है। आईएसआर और आईपीईआर को दुनिया के पेटेंट कार्यालयों में से एक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित मानकों के अनुसार स्थापित किया जाता है, जो पेटेंट आवेदनों की जांच करने में अत्यधिक अनुभवी हैं और जिन्हें विशेष रूप से वायपो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है।

1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप मे भारतीय पेटेंट कार्यालय:

भारत पीसीटी का सदस्य बना व भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने 1998 से प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में कार्य करना शुरू किया है। पीसीटी के तहत एक आवेदक जो भारत का नागरिक है अथवा प्रवासी है, वह पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय (रिसीविंग ऑफिस) - इंडिया (आरओ / आईएन) या डब्ल्यूआईपीओ के इंटरनेशनल ब्यूरो (आरओ / आईबी) के रिसीविंग ऑफिस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

क) आरओ / आईएन और आरओ / आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति।

	आरओ/आईएन			आरओ/आईबी		
वर्ष	आवेदक का प्रकार		कुल	आवेदक का प्रकार		कुल
	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	
2013-14	248	568	816	134	427	561
2014-15	235	566	801	145	469	614
2015-16	234	459	693	226	485	711
2016-17	472	272	744	276	523	799
2017-18	274	490	765	360	577	937

ख) ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदन:

आरओ/आईएन, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के पेटेंट कार्यालयों के काउंटर पर अथवा वायपो द्वारा प्रस्तुत ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ / आईबी के माध्यम से भी कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी का उपयोग करके आवेदन दाखिल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा 15 नवंबर 2014 से प्रारम्भ की गयी है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन मे दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदन

वर्ष	संख्या	आरओ/आईएन मे कुल दाखिल का प्रतिशत
2014-15	215	27 %
2015-16	308	44 %
2016-17	473	64 %
2017-18	669	88 %

ग) <u>इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धता:</u>

आरओ/आईएन अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए इपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां भेजता

है। अप्रैल 2017 से इन कार्यों को आईपीओ दिल्ली में केंद्रीकृत किया गया है। इसर्च प्रतियां भारतीय आवेदकों के लिए आरओ/आईएन द्वारा घोषित 7 सक्षम आईएसए में से 6 को भेजी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 4 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर वायपो के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रिकॉर्ड प्रतियां भेजने में समयबद्धता मे 2016-17 में 66% से 2017-18 में 96% तक उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2017-2018 में भारतीय आवेदकों (आरओ / आईएन) द्वारा शीर्ष दस पीसीटी फाइलिंग

क्र. सं.	आवेदक का नाम [ईएन]	कुल दाखिल
01	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	41
02	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	34
03	टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएम एरिक्सन [पीयूबीएल]	29
04	एमएसएन लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, आर & डी सेंटर	15
05	मेरिल लाइफ साइनसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	14
06	सन फार्म एड्वान्स्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड	10
07	मिलन लेबोरेटरीज़ लिमिटेड	10
08	सिपला लिमिटेड	09
09	सेंट-गोबेन ग्लास फ्रांस	09
10	भारतीय विज्ञान संस्थान	08

2. **भारतीय पेटेंट कार्याल पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण(आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए)**

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त की और 15 अक्टूबर 2013 से कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में, आईपीओ पीसीटी आवेदक जो भारतीय नागरिक/प्रवासी हैं और ईरान के निवासी हैं, उनसे खोज और मांगें प्राप्त करता है। प्राप्त खोज प्रतियों की संख्या के संबंध में, आईपीओ वर्ष 2017-18 के दौरान पीसीटी के तहत आईएसए/आईपीईए के रूप में कार्य करने वाले 22 पेटेंट कार्यालयों में 12वें स्थान पर था। वायपो - आईपी सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार, भारतीय आवेदकों में से 66% ने वर्ष के दौरान भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए के रूप मे चयन किया, हालांकि आरओ/आईएन ने 6 अन्य आईएसए/आईपीईए को भारतीय आवेदकों के लिए आईएसए/आईपीईए के रूप में सक्षम घोषित किया है।

क) आईएसए/आईएन में प्राप्त खोज प्रतियों का विवरण

वर्ष	दाखिल	निपटान	आहरित	लंबित
2013-14	135	18	1	116
2014-15	519	502	4	129
2015-16	711	621	1	218
2016-17	940	983	0	175
2017-18	1213	1156	1	231

ख) आईपीईए/आईएन में प्राप्त मांगों का विवरण

वर्ष	दाखिल	निपटान	आहरित	लंबित
2013-14	0	0	0	0
2014-15	11	0	1	10
2015-16	24	14	1	19
2016-17	30	28	1	20
2017-18	49	29	0	40

ग) आईएसए / आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

आईपीओ ने पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की। वर्ष 2017-18 के दौरान, आईपीओ ने रिपोर्ट की बेहतर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों को और मजबूत किया। आईएसए/आईपीईए के गुणवत्ता सैल में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल हैं जो आवेदक और वायपो मे रिपोर्ट को स्थापित व भेजने से पूर्व रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच करते हैं।

घ) समयबद्धता:

वर्ष के दौरान रिपोर्ट स्थापित करने में समयबद्धता 97-100% है। 2017-18 के दौरान स्थापित की गई कुल 1156 रिपोर्टों में से 1121 रिपोर्ट्स को खोज प्रति की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित किया गया था। कुछ रिपोर्ट, जो आविष्कार की

एकरूपता या अन्य अप्रत्याशित मुद्दों की कमी के कारण समयसीमा को पार कर गई थीं, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा से परे कुछ हफ्तों के समय में स्थापित किया गया था ताकि रिपोर्ट 18 माह के प्रकाशन से पूर्व आवेदक को अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकें। आईपीओ यदि आवेदकों द्वारा ईमेल प्रदान की गई है तो ईमेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वायपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल पीसीटी-ईडीआई के माध्यम से वायपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। रिपोर्ट की स्थापना की तारीख पर तुरंत आवेदकों को रिपोर्ट दी जाती है।

ङ) <u>खोज रणनीतियों का प्रकाशन:</u>

आईपीओ ने अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए डब्ल्यूआईपीओ के पेटेंटस्कोप सर्च पोर्टल पर प्रकाशन के लिए खोज रणनीतियों को साझा करना शुरू किया, जिसके लिए 1.1.18 से रिपोर्ट स्थापित की गई हैं। भारत इस सेवा को शुरू करने वाले 23 प्राधिकरणों में सातवां अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है। आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आवेदकों को विश्वास पैदा करने वाली पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में आईपीओ द्वारा यह शानदार कदम है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ-साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का आकलन किया जा सके और आवेदकों के बीच विश्वास भी स्थापित किया जा सके।

च) <u>आईएसए/आईपीईए मे आवेदक:</u>

पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत और ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/आईपीईए के रूप में आईपीओ चुनने वाले भारतीय आवेदकों के प्रकार में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रीमियर अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु-राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु-राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ विदेशी फर्म शामिल हैं। आईएसए/आईएन को चुनने वाली प्रमुख कंपनियों में से कुछ हैं रिलाइन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉ. रेड्डी'ज़ लेबोरेटरीज़ लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड,

रिलाइन्स जियोइन्फोकोम लिमिटेड, टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएमएलएम(पीयूबीएल), एमएसएन लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, लौरस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, ऑरिजिन डिस्कवरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड व भारतीय विज्ञान संस्थान।

2017-2018 के दौरान आईएसए / आईएन में दाखिल करने वाली शीर्ष 10 कंपनी		
क्र. सं	**कंपनी का नाम**	**कुल**
1	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	44
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	35
3	रिलायंस समूह	30
4	टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	27
5	डॉ. रेड्डी'ज़ लेबोरेटरीज़ लिमिटेड	24
6	एमएसएन लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड	16
7	टाटा समूह	15
8	मेरिल लाइफ साइन्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड	11
9	सैंट गोबेन ग्लास फ्रांस	10
10	सेलिक्स बायो प्राइवेट लिमिटेड	9
11	ज्यूबिलेंट जेनेरिक्स लिमिटेड	9

छ) ईरान से प्राप्त खोज प्रतियां व मांगें:

वर्ष 2017-18 के दौरान, आईएसए/आईएन ने, वे आवेदक जो ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, उनसे 86 खोज प्रतियां प्राप्त कीं।

आईएसए में आईआर से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्राप्त खोज प्रतियां	
वर्ष	**कुल**
2013-2014	0
2014-2015	8
2015-2016	34
2016-2017	24
2017-2018	86
कुल	152

चिह्नों के पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली

परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई सदस्य देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों से शासित होती है नामतः, *'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स'* (संक्षेप में मैड्रिड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है) और *'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट'* (संक्षेप में मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है)। ये संधियाँ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डबल्यूआईपीओ) के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित होती हैं।

भारत के मैड्रिड प्रोटोकोल में शामिल होने की पृष्ठभूमि

- 8 फरवरी 2007 को, कैंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध मे भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल मे शामिल होने को अपनी स्वीकृति दी।
- 21 सितंबर 2010 को व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 को व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित किया गया।
- 14 जनवरी 2013 के राजपत्र मे व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 प्रकाशित किए गए।
- 8 जुलाई, 2013 से भारत में मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू हुए।

भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयन

अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग का निर्माण

मुंबई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रमुख कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग की स्थापना की गई। यह विंग मुख्य रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत उद्गम कार्यालय के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। यह विंग अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत *नामित करार पार्टी कार्यालय* के रूप में भी कार्य करता है, जहां भारत को विदेशी आवेदक द्वारा चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है। भारतीय कार्यालय मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के तहत

निशान की जांच करता है और भारत में राष्ट्रीय आवेदन के रूप में आगे की प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है और यदि, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के तहत निशान भारत में पंजीकरण के लिए योग्य नहीं है, भारतीय कार्यालय भारत में निशान के संरक्षण के लिए अस्वीकृति जारी करता है। ।

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण

मैड्रिड प्रणाली के तहत कार्यों की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान, वायपो ने भारत मे व्यापार चिह्न के संरक्षण के लिए कुल 47263 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को भारतीय कार्यालय को अधिसूचित किया। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ऐसे नामित आवेदनों का परीक्षण भारतीय कार्यालय मे उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की तारीख को ही दाखिल राष्ट्रीय आवेदन के रूप मे करता है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, भारत में संबंधित चिह्नों के संरक्षण के लिए 26883 अंकों के संबंध में आपत्तियों (कार्यालय की आपत्तियों के अनुसार) को वायपो को अनंतिम अस्वीकृति के रूप में सूचित किया गया व 833 मामलों के संबंध मे तीसरे पक्ष के विरोध के आधार पर वायपो को अनंतिम अस्वीकृति भेजी गयी। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, भारत में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के तहत 16925 चिह्नों के संबंध में सरक्षण अनुदान जारी किए गए।

इसी अवधि के दौरान, भारतीय कार्यालय को मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए 841 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 751 आवेदनों का सत्यापन प्रमाणित किया गया है व वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को अग्रेषित किया गया है। इन आवेदनों में से 562 चिह्न वायपो के स्तर पर पंजीकृत थे।

अर्जित राजस्व

भारतीय कार्यालय को वायपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के संबंध में भी।

2017-18 के दौरान, भारतीय कार्यालय को वायपो से सीएचएफ़ 1958957 प्राप्त हुआ है और तदनुसार रुपये 129572873 व्यापार चिह्न के पंजीकार के खाते में जमा किए गए हैं।

इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को राष्ट्रीय आवेदनों के समान माना जाता है व परीक्षण और आगे की कार्यवाही हेतु अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को समान राष्ट्रीय संख्या आवंटित की जाती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के धारक का भारतीय प्रतिनिधि राष्ट्रीय आवेदक के रूप में विविध अनुरोधों / आवेदनों आदि के लिए शुल्क जमा करता है।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय कार्यालय को भारत से उत्पन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदनों के संचालन शुल्क के रूप में भी राजस्व प्राप्त होता है।

2017-18 के दौरान, भारतीय कार्यालय को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संचालन शुल्क के रूप में रुपये 1100000 प्राप्त हुए हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) व पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि का राष्ट्रीय केन्द्र है। वर्तमान मे, यह संस्थान परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प, व्यापार चिह्न परीक्षकों, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसायीयों, देश के बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण देने तथा बौद्धिक सम्पदा- उपयोक्ता समुदायों को जागरूकता प्रदान करता है।

उद्देश्य

आरजीएनआईआईपीएम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान करना व बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे मे जागरूकता पैदा करना है। आरजीएनआईआईपीएम ऐसी बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास करता है जो वैश्विक मानदंडों के अनुरूप है:

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की सभी आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान और पूरा करना तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण आयोजित करना,
- विभिन्न संगठनों जिनमे विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं आदि शामिल हैं उनमे जागरूकता पैदा करके राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के उद्देश्य को लागू करना,
- व्यक्तियों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसायीयों, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों, अनुसंधान एवं शोध वैज्ञानिकों आदि का प्रशिक्षण तथा उन्हे आईपी सेल, बौद्धिक सम्पदा नीति आदि को स्थापित करने मे सहायता करना,
- अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना
- उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना,

➢ देश में सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा हितधारकों के लिए स्वयं व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना,

प्रशिक्षण कार्यक्रम:

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

- ➢ नवनियुक्त बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की अधिकारी (पेटेंट, व्यापार चिह्न इत्यादि),
- ➢ बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- ➢ बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की अधिकारियों के लिए विधायी प्रशिक्षण,
- ➢ बौद्धिक सम्पदा पर अल्पकालिक जन प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- ➢ संस्थानों, संगठनों, कंपनी (फर्मों) के लिए संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएं
- ➢ वायपो व अन्य संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

2017-18 के दौरान उपलब्धियां

वर्ष 2017-18 के दौरान आरजीएनआईआईपीएम ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार- प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं, संगोष्ठियों पर 94 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमे 2 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, 24 कार्यक्रम 1 दिवसीय, 12 कार्यक्रम 2 दिवसीय, 8 कार्यक्रम 3 दिवसीय, 9 कार्यक्रम साप्ताहिक (5 दिवसीय), 10 कार्यक्रम 6 दिवसीय, 26 निशुल्क कार्यशालाएं तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के अलावा 01 भुगतान सहित कार्यशाला शामिल है। 2017-18 के दौरान, राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के अनुपालन के लिए, आरजीएनआईआईपीएम ने प्रशिक्षण/कार्यशाला की श्रृंखला का संचालन किया, जहाँ बहुत सारे प्रतिभागी आईपी प्रक्रियों में प्रशिक्षित थे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और अग्रणी पेटेंट एटॉर्नी, प्रोफेसर आदि सहित देश के सुख्यात संगठनों से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विशेषज्ञ थे। 2017-18 के दौरान इस कार्यालय द्वारा रु. 3091704/- का राजस्व अर्जित किया गाय जिसमे धीरे धीरे वृद्धि हो रही है।

	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि						पेटेंट व डिज़ाइन परीक्षकों हेतु			आम जनता के लिए संगोष्ठी/ जागरूकता कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	कुल कार्यक्रम	राजस्व
	1 दिवसीय	2 दिवसीय	3 दिवसीय	5 दिवसीय	6 दिवसीय	2 सप्ताह	4 सप्ताह	30 दिन	6 सप्ताह				
2013 2014	--	10	--	2	--		--	2	--	–	--	14	663484
2014 2015	--	6	4	2	--		--	–	--	6	--	18	1091915
2015 2016	7	12	7	5	--		--	–	--	22	--	53	2742450
2016 2017	31	8	--	8	-	1	--	–	4	42(3+39)	5	99	2760663
2017 2018	24	12	8	9	10	-	1	–	1	27 कार्यशाला (s) 26- निशुल्क & 1-भुगतान सहित	2	94	3091704

2013-14 से 2017-18 तक आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों का विवरण

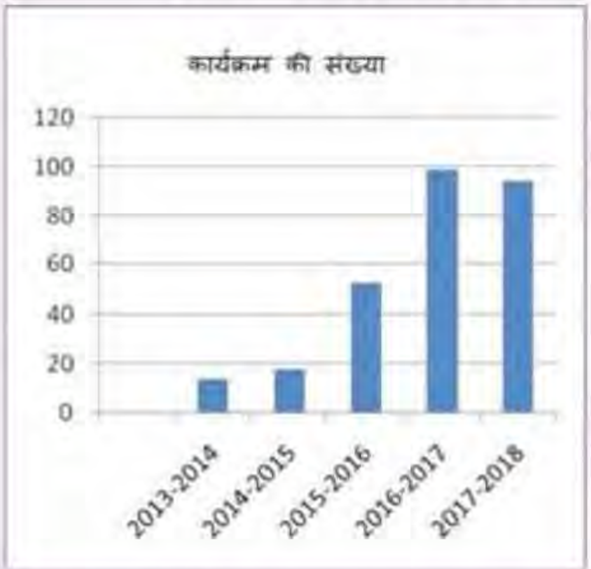

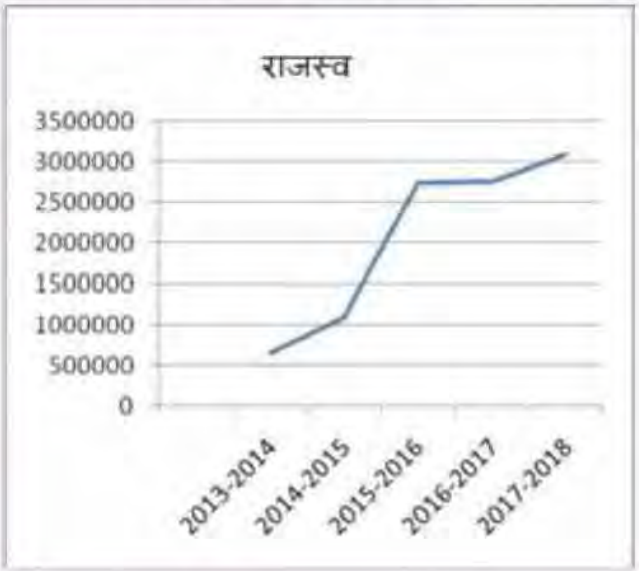

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर मे आयोजित सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क] आईपीआर/आईपी प्रबंधन का परिचय [1 दिवसीय] इसमे विभिन्न विषयों जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त मे चर्चा की गई।

ख] पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया और उसकी कार्यवाही [2 / 3 दिवसीय[

2/3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्व, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, ई-फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया विषय को लिया गया।

ग] भारत में पेटेंट प्रणाली [5-दिवसीय[

इस कार्यक्रम को 1/2/3/5 दिवसीय कार्यक्रमों मे विभाजित किया गया है; ताकि यदि कोई अपनी रुचि के विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहे, तो वह उन दिनों को चुन सकता है, जिनमें पेटेंट के सभी प्रमुख पहलू जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, प्रक्रिया, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विनिर्देश का लेख, दावे, पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपन, आपत्ति, पेटेंट अन्वेषन आदि है।

घ] डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट, भौगोलिक उपदर्शन व दाखिल करने की प्रक्रिया पर विशेष कार्यक्रम [1/2 दिवसीय] जो डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट व भौगोलिक उपदर्शन की कार्यवाही पर संक्षिप्त मे चर्चा करता है।

2017-18 के दौरान कार्यक्रमों का विवरण

1] **विभागीय कार्यक्रम**

2017-118 के दौरान, सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त नवनियुक्त परीक्षकों के लिए 2 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए अर्थात पेटेंट हेतु 6 सप्ताह की अवधि का प्रथम कार्यक्रम तथा व्यापार चिह्न हेतु 4 सप्ताह की अवधि का दूसरा कार्यक्रम। विवरण इस प्रकार है आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर मे 20 मार्च से 28 अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान चौथे बैच के नवनियुक्त 16 परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प को प्रशिक्षित किया गया।

7 अगस्त से 1 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान नवनियुक्त 48 व्यापार चिह्न परीक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाहरी गतिविधियाँ

26 अप्रैल 2017 को बौद्धिक सम्पदा दिवस (आईपी डे):

26 अप्रैल, 2017 को, आरजीएनआईआईपीएम ने विश्व आईपी दिवस मनाया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो आरजीएनआईआईपीएम, एमएनएलयूएन व सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया, जहाँ संकाय सदस्यों ने विश्व भर मे निर्मित रचनात्मक कार्यों के महत्व की जानकारी को साझा किया।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर कार्यशाला(एं): आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक व नागपूर के बाहर 27 कार्यशालाओं का आयोजन किया है, ताकि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता में सुधार हो।

उपर्युक्त संदर्भ में, 'भविष्य प्रशिक्षण' पर एक निशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अवर सचिव, श्री मनोज कुमार, डीओपीपीडब्ल्यू और श्री राजेश कुमार, एनआईसी, नई दिल्ली, उक्त कार्यक्रम के अतिथि शिक्षक थे, जिसमें कुल 45 प्रतिभागी थे, और जिन्होंने उस में भाग लिया, जिसे सराहना और अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

हिन्दी पखवाड़ा: हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें सभी अधिकारियों ने पखवाड़े के दौरान उक्त कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और जिसमें अधिकारियों को उनके दिनचर्या के काम में हिंदी के उपयोग को शामिल करने का निर्देश दिया गया।

आरजीएनआईआईपीएम द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अग्नि परीक्षण दिवस और योग दिवस मनाया गया

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम: आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर मे वर्ष के दौरान, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क) पेटेंट खोज व परीक्षण पर एशियाई देशों के परीक्षकों के लिए एक सप्ताह का वायपो-भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

25-29 सितंबर, 2017 के दौरान पेटेंट खोज व परीक्षण पर एशियाई देशों के लिए वायपो द्वारा आरजीएनआईआईपीएम के सहयोग से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमे वायपो के विशेषज्ञ अर्थात मिस्टर शिमंगा कोंगोलो अतिथि संकाय थे व बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के विशेषज्ञों व नामी बौद्धिक सम्पदा न्यायवादियों ने सत्र मे भाग लिया।

ख) बौद्धिक सम्पदा पर दो सप्ताह का डब्ल्यूआईपीओ-इंडिया समर स्कूल:

वायपो-भारत ने वायपो और एमएनएलयूएन के सहयोग से आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में 2 सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समर स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया, यह 6 से 17 नवंबर 2017 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया जिसमें कुल 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया था (भारतीय और विदेशी मिलाकर)।

पेटेंट सूचना पद्धति

भारत सरकार ने 1980 में नागपुर में पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन प्राप्त करने और रखने ताकि अनुसंधान एवं शोध संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता को पूरा व अन्वेषण सेवाओं द्वारा पेटेंट मे निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने तथा पेटेंट विनिर्देशों की प्रति आपूर्ति के उद्देश्य से की।

पेटेंट सूचना पद्धति की सेवाएँ

पेटेंट सूचना पद्धति द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची निम्नवत है:

- आधुनिकीकृत सेवा
- संदर्भगत अन्वेषण
- पेटेंट प्रति आपूर्ति सेवा (पीआईएस)

31 मार्च, 2018 तक पीआईएस और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	1	1
2	कार्यालय अधीक्षक	1	1
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	1	1
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1
5	आशुलिपिक समूह I	1	1
6	भंडार सहायक	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	3	3
8	सहायक अधीक्षक	1	1
9	आशुलिपिक समूह II	1	0
10	शेल्फ सहायक	1	1
11	प्रवर श्रेणी लिपिक	3	3
12	स्वागतकर्त्ता	1	1
13	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	2
14	अवर श्रेणी लिपिक	3	3
15	हिंदी टंकक	1	1
16	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	6	4
	कुल	**28**	**25**

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. परिचय

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने द्विपक्षीय स्तर के साथ-साथ बहुपक्षीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रकार के सहयोग से विश्व के विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की कार्य प्रणाली की बेहतर समझ प्राप्त होती है। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न वायपो व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयोजित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

अधिक व्यवस्थित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मामलों से निपटने के लिए, वर्ष 2016-17 में अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों से निपटने वाले प्रभाग का पुनर्योजन किया गया। कुशल समन्वय के लिए, 'अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभाग' को वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प के नेतृत्व में रखा गया जो महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न को रिपोर्ट करता है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, अन्य देशों के आईपी कार्यालयों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर नए समझौते और कार्य योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए व मौजूदा समझौतों और कार्य योजनाओं के तहत गतिविधियों को निष्पादित किया गया। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

2. कनाडा बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के साथ सहयोग

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और कनाडा के बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सहमति हुई। अन्य बातों के अलावा, समझौता ज्ञापन मे बौद्धिक संपदा जागरूकता के स्तर को बढ़ाने, उद्योग, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई), स्वचालन और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के साथ बौद्धिक संपदा पर सर्वोत्तम प्रथाओं के

आदान प्रदान, किस प्रकार पारंपरिक ज्ञान संरक्षित है, तथा उनसे संबन्धित सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डेटा बेस, बौद्धिक सम्पदा से संबंधित प्रशिक्षण है।

कनाडाई बौद्धिक संपदा कार्यालय के सीईओ ने 2017 के नवंबर माह के दौरान भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का दौरा किया। इस यात्रा ने दोनों कार्यालयों को नजदीकी से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया और एक दूसरे की बौद्धिक सम्पदा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में योगदान प्रदान किया।

3. यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के साथ सहयोग

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के बीच पिछली कार्य योजना की अवधि समाप्त हो गई थी और परिणामस्वरूप 2017 के दिसंबर माह में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के उपाध्यक्ष, श्री रायमंड लुत्ज़ के बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, दिल्ली मे दौरे के दौरान कार्यालयों के बीच एक नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। कार्य योजना प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों, खोज डेटाबेस में जिसमे पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डेटाबेस जैसे टीकेडीएल, बौद्धिक सम्पदा जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करती है।

4. जापान पेटेंट कार्यालय के साथ सहयोग

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और जापान पेटेंट कार्यालय के बीच पिछली कार्य योजना की समय सीमा समाप्त हो गई थी और इसके परिणामस्वरूप मई 2017 के महीने में जापान पेटेंट कार्यालय के डिप्टी कमीशनर की मुंबई यात्रा के दौरान कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और जापान पेटेंट कार्यालय के बीच नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। नई कार्य योजना प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों, वर्गीकरण संबंधी गतिविधियों, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता आदि में सहयोग प्रदान करती है।

5. ताजीकिस्तान के बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के साथ सहयोग

ताजिकिस्तान गणराज्य के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के पेटेंट और सूचना के राष्ट्रीय केंद्र के प्रतिनिधिमंडल ने 2017 के अक्टूबर महीने में अध्ययन यात्रा के हिस्से के रूप में बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली का दौरा किया। यात्रा के दौरान, ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल और आईटी टीम, पीसीटी आईएसए / आईपीईए टीम, गुणवत्ता नियंत्रण टीम के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि भारत में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को समझा जा सके जिससे दोनों पक्षों के आपसी हित के क्षेत्रों को उजागर किया जा सके।

6. स्वीडिश पेटेंट व पंजीकरण कार्यालय के साथ सहयोग

2017 के मई माह मे, सुश्री सुसैन औसिबोग, महानिदेशक, स्वीडिश पेटेंट और पंजीकरण कार्यालय, स्वीडन ने भारत का दौरा किया और भारत के महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न से मुलाकात की। स्वीडन राज्य के स्वीडिश पेटेंट और पंजीकरण कार्यालय और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की अनुमोदन पर सितंबर 2017 के महीने के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन इस क्षेत्र से संबंधित बौद्धिक संपदा (आईपी) और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में पक्षों के बीच सहयोग गतिविधियों को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत और लचीला तंत्र स्थापित करता है।

7. यूनाइटेड किंगडम के बौद्धिक संपदा कार्यालय के साथ सहयोग

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और यूनाइटेड किंगडम के बौद्धिक संपदा कार्यालय (यूकेआईपीओ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2017 के जून माह में, कैलेंडर वर्ष 2017-18 के संबंध में समझौता ज्ञापन के तहत एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्य योजना व्यापक गतिविधियों पर सहयोग प्रदान करती है, जिसमें प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, परीक्षण से संबंधित प्रक्रियाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता सृजन आदि शामिल हैं।

8. वायपो-भारत कार्रवाई योजना 2017-18

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 2017-18 के लिए, द्विवार्षिक डब्ल्यूआईपीओ-इंडिया एक्शन प्लान को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। कार्य योजना में भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सहयोग, पीसीटी आईएसए से संबंधित मामलों में क्षमता, मैड्रिड प्रोटोकॉल, भारत के हित के प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा, वायपो वर्ल्डवाइड अकादमी और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर के बीच आईपी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, आदि सहयोग प्रदान करना है।

9. वायपो सामान्य सभा 2017 व द्विपक्षीय सहचर बैठकें

अक्तूबर 2017 के दौरान, श्री ओ.पी.गुप्ता, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, डॉ. के.एस.कर्दम, वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, श्री एस.डी.ओझा सहायक पंजीकार व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन व श्री पारिजात सौरभ, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प ने वायपो सामान्य सभा बैठक, ब्रिक्स एचआईपीओ की बैठक तथा वायपो सामान्य सभा की सहचर बैठकों मे भाग लिया।

निम्नलिखित कार्यालयों के साथ वायपो सामान्य सभा के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं:

1. यूनाइटेड किंग्डम का बौद्धिक सम्पदा कार्यालय

2. आईएनपीआई-आईपी ऑफिस ऑफ फ्रांस

3. औस्ट्रियन पेटेंट कार्यालय

4. बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, ऑस्ट्रेलिया

5. कनाडियन आईपी ऑफिस

6. स्वीडिश पेटेंट व पंजीकरण कार्यालय

वायपो सामान्य सभा के दौरान, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और वायपो के महानिदेशक ने 5 अक्टूबर 2017 को जिनेवा स्विटज़रलैंड में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे इन कार्यालयों को डाटा साझा करने मे सुविधा हो व डबल्यूआईपीओ सीएएसई और डबल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) के माध्यम से भारतीय पेटेंट दस्तावेज, खोज व परीक्षण रिपोर्ट शामिल हैं ताकि पूर्वोक्ता दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। कार्यालय में आईपी व्यावसायिक सेवाओं के सुधार के लिए सहकारी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें डिजिटलीकरण, डेटा कैप्चर और डेटा की गुणवत्ता में सुधार, आईपी सूचना के प्रसार के लिए डेटा विनिमय, वायपो द्वारा व्यावसायिक प्रणालियों के लिए डिजिटलीकरण का प्रावधान, , दस्तावेज़ प्रबंधन, ऑनलाइन खोज व उससे संबंधित सिस्टम या मॉड्यूल तथा राष्ट्रीय और / या क्षेत्रीय आईपी डेटाबेस के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं।

10.पीसीटी कार्यकारी समूह

सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से कार्यालय प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए आईपी कार्यालय के निरंतर प्रयास के अनुरूप, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने डब्ल्यूआईपीओ की ईपीसीटी की सराहना की जो पेपर फाइलिंग को कम करने में मदद करती है। भारत ने ईपीसीटी प्रणाली में और सुधारों को प्रोत्साहित किया, विशेषकर शुल्क के भुगतान और आवेदनों के अधिक पूर्ण प्रसंस्करण के संबंध में ताकि प्रसंस्करण समय को कम किया जा सके और प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय खोज प्रतियों को भेजने और प्राप्त करने के लिए वायपो की ईसर्चकॉपी सेवा का भी उपयोग कर रहा है जो खोज प्रतियों को भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है। भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने ईसर्चकॉपी सेवा के माध्यम से खोज प्रतियों के प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने व्यक्तियों, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई), स्टार्टअप, और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लिए फीस में कटौती का समर्थन किया क्योंकि यह उनके नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है व उन्हें और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने पीसीटी शुल्क आय के मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव की वजह से जोखिम को कम करने के लिए संभावित उपाय के रूप में नेटिंग पायलट शुरू किया है। आईबी ने ईपीओ के साथ नेटिंग पायलट शुरू किया है, जिसमें ईपीओ के लाभ के लिए यूएसपीटीओ द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में एकत्र की गई फीस, ईपीओ के लाभ के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में एकत्र की गई फीस, ईपीओ के लाभ के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो द्वारा एकत्र की गई अनुपूरक फीस, ईपीओ में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में एकत्र किया गया अन्तर्राष्ट्रीय फाईलिंग शुल्क और नियम *16.1 (ड)* के तहत ईपीओ को बकाया या ईपीओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को बकाया कोई भी राशि शमिल है। प्रथम नेटिंग लेन देन जनवरी-2018 के लेनदेन के आधार पर 22 फरवरी, 2018 को होने वाला था। भारत का प्राप्तकर्ता कार्यालय *1* अप्रैल, 2018 से पायलट के साथ शामिल हो गया, जिसमे प्रथम लेनदेन मई 2018 में होने वाला था।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के संबंध में, भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने कार्य समूह को सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक में भारतीय पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को पीसीटी न्यूनतम दस्तावेज जोड़ने के लिए सैद्धांतिक सहमति के बाद, भारत सरकार वर्तमान में टीकेडीएल तक पहुँच के समझौते के नियम और शर्तें संशोधित कर रही है। भारतीय पेटेंट कार्यालय संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ समझौते को साझा करने के लिए तत्पर है।

11. ब्रिक्स:आईपीआर सहयोग-

8 वीं ब्रिक्स एचआईपीओ (बौद्धिक संपदा कार्यालयों के प्रमुख) की बैठक 6 और 7 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन श्री ओ.पी.गुप्ता ने की। ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालयों के सभी प्रमुखों ने इस बैठक में अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों के 17 प्रतिभागियों ने उक्त आयोजन में भाग लिया। श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य अभिभाषण दिया।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (एसआईपीओ) ने "ब्रिक्स आईपीआर सहयोग रोडमैप" की अध्यक्षता थी। तदनुसार एसआईपीओ ने फरवरी 2018 में बीजिंग में ब्रिक्स परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सीजीपीडीटीएम-भारत' कार्यालय के 3 परीक्षकों के साथ ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के आईपी कार्यालयों के परीक्षकों ने भाग लिया। बीजिंग में आयोजित 'ब्रिक्स आईपी कोऑर्डिनेशन ग्रुप मीटिंग' में सीजीपीडीटीएम-भारत की ओर से श्री सुबेन्दु-कुंडु, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प शामिल हुए, जो फरवरी 2018 में आयोजित की गयी थी। 57 वें वायपो सामान्य सभा के साथ अक्टूबर 2017 में जिनेवा, स्विटज़रलैंड में ब्रिक्स एचआईपीओ की बैठक हुई जिसमे ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका के आईपी कार्यालयों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। वायपो सामान्य सभा के दौरान।

12.अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 25 वीं बैठक और पीसीटी गुणवत्ता उपसमूह की 8 वीं बैठक में भारत की भागीदारी:

2013 में आईएसए और आईपीईए के रूप में कार्य शुरू करने के बाद, भारतीय पेटेंट कार्यालय पीसीटी क्वालिटी सबग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक में (एमआईए) हर साल आयोजित होने वाले बैठक में भाग लेता रहा है। 19 से 23 फरवरी 2018 तक मैड्रिड, स्पेन में आयोजित

बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व सुश्री रेखा वी., उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प द्वारा किया गया। पीसीटी क्वालिटी सबग्रुप के विषय पेटेंट कार्यालयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) से संबंधित हैं और पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों के रूप में कामकाज की गुणवत्ता में सुधार करने का तरीका हैं। एमआईए पीसीटी प्रणाली में सुधारों पर चर्चा करता है।

क) क्यूएमएस पर रिपोर्ट

2018 क्यूएमएस रिपोर्ट में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने आईएसए / आईपीईए की गुणवत्ता सेल के काम और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को स्थापित करने में जो समयबद्धता बनाए रखी उस पर प्रकाश डाला। एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो 2017-18 में हासिल किया गया, वह 1 जनवरी 2018 से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए परीक्षकों की खोज रणनीतियों का प्रकाशन था। यह आईपीओ द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में पारदर्शिता का एक बड़ा कदम है।

ख) पीसीटी न्यूनतम दस्तावेज में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) का समावेश:

भारत ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखा, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक (एमआईए)2015 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को पीसीटी न्यूनतम दस्तावेज के भाग के रूप में शामिल किया जाना था। टीकेडीएल, एक डिजिटल प्रलेखन, जो भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग से संबंधित भारतीय पारंपरिक ज्ञान पाँच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश) में निर्मित अपनी तरह का पहला है, वर्तमान में दुनिया भर के प्रमुख पेटेंट कार्यालयों द्वारा पेटेंट खोज के लिए सदस्यता ली गई है और यह पहला पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस है जिसका पीसीटी न्यूनतम प्रलेखन में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। कुछ अधिकारियों ने उपयोग के आँकड़ों, गोपनीयता और गैर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के बारे में-पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) अभिगम समझौते के कुछ खंडों के बारे में चिंता जताई है। 2017-18 में, आईपीओ ने टास्क फोर्स के

लिए एक विस्तृत कार्य दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें एक्सेस एग्रीमेंट का संशोधित मसौदा भी शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक (एमआईए) 2018 में, भारत ने कुछ अधिकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) अभिगम समझौते में संशोधनों के विवरण के साथ साथ भारतीय-पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पेटेंट के गलत अनुदान से बचने के लिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) उद्धरणों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। मामला अभी पीसीटी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन टास्क फोर्स के विचाराधीन है और आईपीओ पीसीटी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) के शीघ्र समावेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

अध्याय-XIII

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बर्हि-क्रियाकलाप

1. परिचय:

भारत सरकार ने आईपी अधिकारियों के बीच कौशल और विशेषज्ञता विकसित करने और आईपी कार्यालयों की क्षमता निर्माण के अपने मिशन को जारी रखा है, इस प्रकार मानव संसाधन का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है।, इस प्रकार मानव संसाधन का मजबूत आधार तैयार हुआ है। इसके लिए पेटेंट परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिहन ने उद्योग संघ जैसे जैसे एफ़आईसीसीआई, सीआईआई, असोचम, पीएचडीसीसीआई, सीडबल्यूईआई इत्यादि के सहयोग से आम जनता के साथ-साथ शोध व विकास संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालय व उद्योग, स्टार्टअप, नवाचार केंद्र, प्रवर्तन अभिकरण के लिए बर्हि कार्यक्रम संचालित करने की दिशा में पहल की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा से संबन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों और सरोकारों की विस्तृत समझ बनाने, बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संरक्षा और प्रवर्तन विषयक ज्ञान प्रदान करने और जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ व्यवसायों का सशक्तीकरण करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार का लाभ उठाना था। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारी, वायपो, विश्वविद्यालयों, टीआईएफएसी, सूक्ष्म, लघु, माध्यम उद्यम, एमएसएमई, एनआरडीसी तथा औद्योगिक संगठन जैसे एनआईडी व औद्योगिक संगठनों जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, पीएचडीसीसीआई, सीडबल्यूईआई आदि द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में नियमित भाग लेते रहे हैं।

2. कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिहन की ओर से राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम (2017-18)

2017-18 के दौरान, कार्यालय ने निम्नलिखित हितधारकों के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, पीएचडीसीसीआई, सीडबल्यूईआई आदि के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए:

1. विधि विश्वविद्यालय
2. बार असोशिएशन
3. प्रवर्तन एजेंसी
4. नवाचार केंद्र व स्टार्ट अप
5. कॉपीराइट
6. विद्यालय/ टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ

कुल 114 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विवरण परिशिष्ठ 1 मे दिया गया है जो यहाँ संलग्न है:

परिशिष्ट 1

1	विधि विश्वविद्यालय	21
2	बार असोशिएशन	03
3	प्रवर्तन एजेंसी	10
4	नवाचार केंद्र व स्टार्ट अप	12
5	कॉपीराइट	02
6	विद्यालय/टिंकरिंग लैबॉरेटरीज़	66
6	कुल	114

2017-18 मे बौद्धिक सम्पदा-जागरूकता कार्यक्रम :

अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों में बौद्धिक सम्पदा और आविष्कार प्रबंधन पर जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य को जारी रखते हुए वर्ष 2017-18 मे औद्योगिक संगठनों के साथ 48 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रमों की सूची निम्नवत है:

औद्योगिक संगठन का नाम	वर्ष 2017-18 मे औद्योगिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम					
	विश्वविद्यालय/ विधि विश्वविद्यालय	बार असोशिएशन	कॉपीराइट	स्टार्ट अप/ नवाचार केंद्र	प्रवर्तन	कुल
सीआईआई	02	-	-	-	02	04
पीएचडीसीसीआई	04	01	01	03	01	10
सीडबल्यूईआई	06	-	-	01	03	10
एफ़आईसीसीआई (फिक्की)	05	-	-	02	01	08
एसोचेम	04	02	01	06	03	16
कुल	21	03	02	12	10	48

प्रत्येक पेटेंट कार्यालय द्वारा स्कूलों / अटल टिंकरिंग लैब्स में आयोजित आईपीआर जागरूकता कार्यक्रमों का सारांश इस प्रकार है:

पेटेंट कार्यालय का नाम	प्रत्येक पेटेंट कार्यालय को स्कूलों / अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम	प्रत्येक पेटेंट कार्यालय द्वारा स्कूलों / अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए आयोजित कार्यक्रम
कोलकाता	30	28
मुंबई	30	21
चेन्नई	30	12
नई दिल्ली	30	05
कुल	120	66

वर्ष 2017-18 मे कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा कुल 114 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

3. भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठकों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की भागीदारी

क्रम सं.	प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशाला / कार्यक्रम में भाग लिया	देश जिसका दौरा किया गया	अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
1	05-07 अप्रैल 2017 तक ईस्ट मीट्स वेस्ट फोरम का आयोजन	वियना, ऑस्ट्रीया	1
2	11-14 अप्रैल, 2017 तक आईआईपीटीआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा एचआईपीओसी (हेड्स ऑफ इंटेलेक्चुवल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस)	डाइज़ोन, कोरिया गणतन्त्र	2
3	08-12 मई 2017 तक पेटेंट सहयोग संधि कार्यकारी समूह का 10वां सत्र व तकनीकी सहयोग पर पेटेंट सहयोग संधि समिति का 30वां सत्र	जेनेवा	2
4	31 मई से 04 जून 2017 तक बैंकॉक, थायलैंड मे थाइफेक्स ट्रेड फेयर	बैंकॉक, थायलैंड	2
5	29 मई से 2 जून 2017 तक वायपो मे, वायपो मानकों (सीडबल्यूएस) पर पांचवीं सत्र समिति	जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1
6	19 से 22 जून, 2017 तक जिनेवा में चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के कानूनी विकास पर कार्यकारी समूह का 15 वां सत्र	जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1
7	21-23 जून, 2017 पेटेंट परीक्षण गुणवत्ता प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यशाला	टोक्यो, जापान	2
8	डेटा साझा करने और डिज़ाइन दृश्य कार्यान्वयन के लिए मंच के निर्माण की प्रक्रिया में 26-6-2017 से 30-06-2017 तक एलिकांटे का दौरा	अलिकांटे, स्पेन	3

9	3-6 जुलाई, 2017 तक जिनेवा में वायपो की पेटेंट विधान की स्थायी समिति (एससीपी) का 26 वां सत्र	जेनेवा	1
10	3 से 7 जुलाई, 2017 तक कोरिया गणराज्य के डाइजॉन में पीसीटी राष्ट्रीय चरण में पेटेंट परीक्षण पर वायपो कार्यशाला	डाइज़ोन, कोरिया गणतन्त्र	2
11	10-12 अगस्त, 2017 तक दक्षिण एशिया के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ इंटरएक्टिव सत्र में भाग लेने के लिए	सिंगापुर	1
12	ईपीओ और ईयूआईपीओ द्वारा आयोजित आईपी कार्यकारी सप्ताह में भाग लेने के लिए जो 10-13 जुलाई 2017 तक एलिकांटे, स्पेन में आयोजित किया जाएगा	अलिकांटे, स्पेन	1
13	टोक्यो, जापान में 16 अगस्त से 15 दिसंबर 2017 तक आयोजित होने वाले 4 माह के अध्ययन अनुसंधान-सह-फैलोशिप कार्यक्रम	टोक्यो, जापान	1
14	जेनेवा में 11-15 सितंबर 2017 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम और बजट समिति का 27 वां सत्र	जेनेवा	1
15	जिनेवा में 4-6 सितंबर, 2017 तक प्रवर्तन समिति की (एसीई) सलाहकार समिति के बारहवें सत्र में भाग लेने के लिए।	जेनेवा	1
16	पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी)) के बेहतर उपयोग के संवर्धन के लिए नीतियों पर, वायपो के सिंगापुर कार्यालय में, 11 से 13 सितंबर,	सिंगापुर	1
	2017 तक वायपो अंतरक्षेत्रीय संगोष्ठी-		
17	12/09/2017 से 1/11/2017 तक आयोजित होने वाले पेटेंट परीक्षकों के लिए ऑपरेशनल पेटेंट परीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।	टोक्यो, जापान	4
18	1 अक्टूबर 2017 से 6 अक्टूबर 2017 तक वायपो के सदस्य राज्यों की सभाओं की बैठक की 57 वीं श्रृंखला	जेनेवा	2
19	2 अक्टूबर 2017 से 6 अक्टूबर 2017 तक वायपो के सदस्य राज्यों की सभाओं की बैठक की 57 वीं श्रृंखला	जेनेवा	
20	57 वीं श्रृंखला के दौरान, 2 अक्टूबर 2017 से 11 अक्टूबर 2017 तक, मैड्रिड असेम्ब्ली मीटिंग वायपो के सदस्य राज्यों की सभाओं की बैठक	जेनेवा	1
21	2 अक्टूबर 2017 से 11 अक्टूबर 2017 तक वायपो के सदस्य राज्यों की सभाओं की बैठक की 57 वीं श्रृंखला के दौरान पीसीटी संघ की बैठक	जेनेवा	1
22	जापान के टोक्यो में 2 से 10 नवंबर 2017 तक पेटेंट परीक्षण प्रबंधन पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान	4
23	8 से 21 नवंबर 2017 तक डिजाइन के मौलिक परीक्षण पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान	3
24	17 मार्च से 30 नवंबर 2017 तक टोक्यो, जापान में व्यापार चिह्न के मौलिक परीक्षण पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान	3

25	"उभरते देशों के आईपी कार्यालयों में आईटी डिवीजन के स्टाफ के सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "29 नवंबर -6 दिसंबर 2017"	टोक्यो, जापान	1
26	30-10-2017 से 2-11-2017 तक व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन (एससीटी) के विधान पर स्थायी समिति का 38 वां सत्र	जेनेवा	1
27	11 से 14 दिसंबर, 2017 तक जिनेवा में पेटेंट विधान की स्थायी समिति (एससीपी) का 27 वां सत्र	जेनेवा	1
28	11 दिसंबर 2017 से 20 दिसंबर 2017 तक टोक्यो, जापान में आईपी प्रबंधन पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान, (टोक्यो)	4
29	18-20 दिसंबर 2017 तक एलिकांते, स्पेन में ईयूआईपीओ कार्यालय का दौरा	अलिकांटे, स्पेन	3
30	नकल विरोधी बैठक 26 जनवरी, 2018 से 02 फरवरी, 2018	टोक्यो, जापान	1
31	21-23, फरवरी 2018 तक पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक (एमआईए/पीसीटी) का 25 वां सत्र और 19-20 फरवरी 2018 तक, स्पेन के मैड्रिड में, स्पेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय संस्थान द्वारा आयोजित गुणवत्ता उप-समूह	रेयजविक, आइसलैंड	1
32	ब्रिक्स आईपी समन्वय कार्यक्रम के तहत 5-9 फरवरी, 2018 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम और पेटेंट सूचना उपयोग कार्यशाला।	बीजिंग, चीन	3
33	ब्रिक्स आईपी समन्वय कार्यक्रम के तहत 7-9 फरवरी 2018 तक 5 वीं समन्वय समूह की बैठक	बीजिंग, चीन	1
34	19-23 फरवरी, 2018 तक टोक्यो, जापान में आईपी ऑफिस के प्रमुखों (एचआईपीओ) और हाई लेवल फोरम (एचएलएफ)	टोक्यो, जापान	1
35	26-27, मार्च 2018 तक ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालयों के प्रमुखों (एचआईपीओ) की चैंगदू, चीन में 10 वीं बैठक	चैंगदू, चीन	2

4. विश्व आईपी दिवस की समारोह

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2017

विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस (आईपी) के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा पुरस्कार, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा सीआईआई के साथ पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन के क्षेत्र मे प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा पुरस्कारों (आईपी) का उद्देश्य उनकी रचनाओं और आईपी के व्यावसायीकरण के लिए व्यक्तियों और उद्यमों को पहचानना और पुरस्कृत करना है जिन्होंने देश की बौद्धिक पूंजी का दोहन करने और रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने वाले आईपी

पारिस्थितिकी तंत्र बनाने मे योगदान दिया है। इस वर्ष 26 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जो पुरस्कार समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि थी, ने समारोह मे भाग लिया और आईपी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार 2017 के लिए पुरस्कार विजेताओं की सूची:

क्र .सं.	आवेदक का नाम	पुरस्कार श्रेणी
1	के रवीन्द्र शेट्टी	पेटेंट व व्यवसायीकरण शीर्ष वैयक्तिक
2	आईसीएआर भारतीय कृषि - अनुसंधान संस्थान	पेटेंट व व्यवसायीकरण हेतु शीर्ष अनुसंधान & विकास संस्थान/संगठन
3	टीवीएस मोटर्स	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (भारतीय)
4	मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (विदेशी)
5	तेजस नेटवर्क लिमिटेड	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय निजी कंपनी (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम)
6	आलिनोव रिसर्च & डेव्लपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	आईपी व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष स्टार्ट अप-
7	मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड	डिजाइन के लिए शीर्ष भारतीय कंपनी / संगठन
8	बायोकॉन लिमिटेड	ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए शीर्ष भारतीय कंपनी
9	ह्यूमन वेल्फेयर असोशिएशन	भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण और भारत में पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ वैयक्तिक /संगठन।
10	क्राइम ब्रांच, सैक्टर 3, चंडीगढ़	देश में आईपी के प्रवर्तन के लिए श्रेष्ठ पुलिस यूनिट (जोन / आयुक्तालय में एक जिला)

इस अवसर पर तीन वायपो पुरस्कार जो बौद्धिक संपदा में विशिष्ट सफलताओं के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डबल्यू आई पी ओ) द्वारा वार्षिक आधार पर दिए जाते हैं और जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कारों की उपयुक्त श्रेणी से सम्बंधित हैं, वे सम्बंधित श्रेणी में विजेताओं को, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2017 के साथ प्रदान किए गए।

वायपो पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	वायपो पुरस्कार	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2017 के अनुरूप	पुरस्कार विजेता का नाम
1	आविष्कारक के लिए वायपो पदक	पेटेंट और व्यावसायीकरण शीर्ष वैयक्तिक	श्री के. रवीन्द्र शेट्टी
2	वायपो आईपी एंटरप्राइज ट्रॉफी	पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	टीवीएस मोटर्स
3	वायपो यूज़र्स ट्रॉफी	ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए शीर्ष भारतीय कंपनी	बायोकॉन लिमिटेड

मानव संसाधन

परिचय:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)/ राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के 459 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदनुसार, 20.09.2015 व 01.112015 को अखिल भारतीय आधार पर क्रमशः प्रारम्भिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा आयोजित की गयी। चयनित परीक्षार्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया तथा परीक्षार्थियों के इस्तीफे के कारण हुई रिक्तियों को भी प्रतीक्षा सूची से भर दिया गया। अतः, चयनित परीक्षार्थियों मे से 464 ने कार्यालय मे परीक्षक के रूप मे कार्यभार ग्रहण किया। 31 मार्च, 2018 को कुल 572 परीक्षक थे जिनमे से 129 गैर योजना व 443 योजना के अंतर्गत थे।

भारत सरकार ने और कुशल सेवाओं के प्रदान हेतु कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न मे और 362 पदों (219 पेटेंट कार्यालय के लिए व 143 व्यापार चिह्न कार्यालय के लिए) को स्वीकृत किया है। इसमे परीक्षक एकस्व के 84 पद व परीक्षक व्यापार चिह्न के 38 पद शामिल हैं।

इसके अनुसरण में सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के साथ एक समझौता किया है ताकि परीक्षकों के 220 पद भरे जा सकें जिनमे नव सृजित 84 पदों के साथ ही खाली पड़े पद व वरिष्ठ परीक्षकों की पदोन्नति के कारण संभावित रिक्त पद शामिल है।

1. विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों में मानव संसाधन

क. मुम्बई में स्थित कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) में निम्नलिखित सहायक कर्मी हैं:

31 मार्च, 2018 तक कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न की गैरयोजना के तहत अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	नियोजित शक्ति	कार्मिक शक्ति
1	महानियंत्रक	1	1
2	निजी सचिव	1	1
3	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
4	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	2	1
	कुल	5	4

हालाँकि, इस कार्यालय के सुचारु कार्य के लिए पेटेंट व व्यापार चिह्न कार्यालयों से अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

ख. पेटेंट कार्यालय मे मानव संसाधन

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति परिशिष्ट-क में दर्शायी गई है। यह परिशिष्ट सभी चार कार्यालयों में 31.03.2018 को अनुमोदित कार्य-शक्ति के साथ-साथ नियोजित कार्मिक शक्ति की भी सूचना प्रदान करता है।

ग. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में मानव संसाधन

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिल शक्ति परिशिष्ट ख मे दर्शाई गई है। यह परिशिष्ट सभी पाँच कार्यालयों में 31.03.2018 को अनुमोदित कार्य-शक्ति के साथ-साथ नियोजित कार्मिक शक्ति की भी सूचना प्रदान करता है।

घ. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री मे मानव संसाधन

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का अपना अलग अनुमोदित मानव संसाधन है। परिशिष्ट-ग भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31.03.2018 को अनुमोदित कार्य-शक्ति के साथ-साथ नियोजित कार्मिक शक्ति की भी सूचना प्रदान करता है।

ङ पीआईएस एवं आरजीएनआईआईपीएम में मानव संसाधन

31.03.2017 को पीआईएस एवं आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों एवं कार्मिक शक्ति का विवरण **परिशिष्ट-घ** में दिया गया है।

31 मार्च, 2018 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. स.	पदनाम	वर्ग	अनुमोदित शक्ति										नियोजित शक्ति									
			कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल		कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल	
			गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	1	0	1	0	1	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	संयुक्त नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	3	0	3	0	3	0	3	1	12	1	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0
3	निदेशक	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	उप सचिव	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	उप नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	4	10	3	6	3	11	6	8	16	35	4	10	3	6*	3	11	6	7	16	34*
6	प्रधान व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सहायक नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	4	5	5	5	8	19	16	21	146^	50	4	4	5	4	8	19	16	16	33	43
8	वरिष्ठ व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	परीक्षक, एकस्व	समूह क	23	11	20	51	28	97	58	199	221^	452^	23	11	20	51	28	97	58	19	129	443
	व अभिकल्प			6										6						9		
11	सहायक निदेशक(राभा)	समूह क	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	समूह क	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	1	1	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	लेखा अधिकारी	समूह क	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	व्यवस्था विश्लेषक / कंप्यूटर प्रोग्रामर	समूह क	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	36	132	37	64	43	128	93	231	414	544	32	130	29	61	40	127	82	223	183	521
1	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	1	1	1	0	1	1	4	2	1	0	1	1	1	0	1	1	4	2
2	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
3	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
4	लेखा अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	3	1	3	3	2	1	3	2	11	7	2	1	1	3	1	1	1	2	5	7

*1 उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर मे नियुक्त

^ बाद में वितरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	अनुमोदित शक्ति										नियोजित शक्ति									
			कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल		कोलकाता		मुंबई		चेन्नई		दिल्ली		कुल	
			गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख	20	6	12	2	13	1	19	3	64	12	18	6	7	0	9	0	12	3	46	9
2	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	(अराजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	क.हिन्दी अनुवादक	समूह ख	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0
4	आशुलिपिक वर्ग-1	(अराजपत्रित)	4	0	2	0	2	0	2	0	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0
5	लेखाकार	समूह ख	0	1	1	1	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	विधि सहायक	(अराजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	27	7	17	3	18	2	25	4	87	16	21	6	8	0	10	0	14	3	53	9
1	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
2	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	25	0	7	9	11	4	14	7	57	20	25	0	0	0	5	3	9	5	39	8
3	आशुलिपिक - वर्ग-II	समूह ग	1	1	0	1	0	1	0	2	1	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
4	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	0	0	0	5	0	2	0	5	0	12	0	0	0	4	0	0	0	3	0	7
5	निम्न श्रेणी लिपिक	समूह ग	9	0	13	0	10	0	12	0	44	0	4	0	8	0	4	0	7	0	23	0
6	हिन्दी टंकक	समूह ग	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	मल्टी-टास्क स्टाफ	समूह ग	31	0	5	2	10	1	10	4	56	4	24	0	0	1	9	0	6	3	39	4
		कुल	68	1	26	17	32	8	37	18	163	41	54	1	9	6	19	3	23	12	105	22

परिशिष्ट-ख

31 मार्च, 2018 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. स.	पदनाम समूह क	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	उप पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	6	2	2	0	2	0	4	0	1	0	15	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0
4	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	9	2	2	0	5	0	9	2	4	0	29	4	5	0	0	0	3	0	2	0	3	0	13	0
5	वरिष्ट परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	24	15	0	3	5	4	16	4	1	2	46	28	0	1	0	0	4	1	1	0	0	0	5	2
6	सहायक निदेशक (राभा)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	प्रशासनिक अधिकारी	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	व्यवस्था विश्लेषक / कंप्यूटर प्रोग्रामर	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	विधि अधिकारी	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	लेखा अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	23	5	3	13	5	30	7	6	2	99	40	8	1	1	0	7	1	5	0	3	0	24	2

क्र. सं.	समूह ख का पदनाम (राजपत्रित)	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.	गै. बो.	बो.
1	परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ.उ.	25	78	4	3	7	6	19	8	7	4	62 75*	99	13	40	0	6	2	5	5	18	2	4	22	73 75*
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	सूचना अधिकारी																								
4	निजी सचिव	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1
5	भंडार अधिकारी	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	30	79	5	3	8	7	20	10	8	4	71 75*	103	16	40	0	6	2	6	6	18	2	4	26	74 75*

- संविदा के आधार पर परीक्षक, व्यापार चिह्न

क्र. सं.	पदनाम समूह ख (अराजपत्रित)	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	कार्यालय अधीक्षक	6	2	0	1	1	0	1	1	0	1	8	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2	पुस्तकालय व सूचना सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	आशुलिपिक समूह I	3	0	2	0	2	0	2	0	1	0	10	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	8	0
4	सहा. परीक्षक, व्या. चिह्न व भौ. उ.	14	2	2	0	3	0	7	0	6	0	32	2	4	0	2	0	1	0	3	0	0	0	10	0
5	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	लेखाकार	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	26	7	5	1	6	1	10	2	8	1	55	12	9	0	5	0	3	0	4	0	1	0	22	0

क्र. सं.	पदनाम समूह ग	अनुमोदित शक्ति												नियोजित शक्ति											
		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नई		दिल्ली		अहमदाबाद		कुल	
		गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.	गै. यो.	यो.
1	सहायक अधीक्षक	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	11	0	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	9	0
2	रोकड़िया	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	प्रवर श्रेणी लिपिक	25	0	5	0	5	1	4	3	3	1	42	5	17	0	5	0	4	0	0	0	0	0	26	0
4	आशुलिपिक समूह II	0	3	1	1	0	1	2	4	0	0	3	9	0	4	0	1	0	0	2	2	0	1	2	8
5	डाटा एंट्री ऑपरेटर	20	0	3	0	7	0	5	0	3	0	38	0	6	0	2	0	1	0	5	0	0	0	14	0
6	अवर श्रेणी लिपिक	0	0	0	2	0	1	0	4	0	2	0	9	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	6
7	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	24	0	5	0	6	0	8	1	4	1	47	2	17	0	3	0	6	0	4	0	3	0	33	0
	कुल	77	3	16	3	20	3	21	12	11	4	145	25	46	4	11	3	12	0	12	5	4	2	85	14

परिशिष्ट-ग

31 मार्च, 2018 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्रम सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1.	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	0
2.	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	1
3.	वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	1
4.	आशुलिपिक समूह	1	1
5.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1
	कुल	5	4

परिशिष्ट-घ

31 मार्च, 2018 तक पीआईएस और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	1	1
2	कार्यालय अधीक्षक	1	1
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	1	1
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1
5	आशुलिपिक समूह I	1	1
6	भंडार सहायक	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	3	3
8	सहायक अधीक्षक	1	1
9	आशुलिपिक समूह II	1	0
10	शेल्फ सहायक	1	1
11	प्रवर श्रेणी लिपिक	3	3
12	स्वागतकर्त्ता	1	1
13	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	2
14	अवर श्रेणी लिपिक	3	3
15	हिंदी टंकक	1	1
16	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	6	4
	कुल	28	25